RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 22 अंक 06 05 फरवरी 2022

जगत विज़न

भ्रष्टाचार, अत्याचार और अंधकार की भूपेश सरकार

पत्रकार को सैनिटाईजर पिलाना अमानवीयता की पराकाष्ठा

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

भ्रष्टाचार, अत्याचार और अंधकार की भूपेश सरकार

पत्रकार को सैनिटाईजर पिलाना अमानवीयता की पराकाष्ठा

- 2021 में देश के 84 फीसदी परिवारों की आय घटी 50
- निःस्वार्थ मानवसेवा का जीवंत उदाहरण है करूणाधाम आश्रम.....54
- असहाय होने का एहसास 58
- सियासी मुद्दा क्यों नहीं बनती है पहाड़ों की आपदाएं 60
- History of the biological wars on globe 63

आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए महिलाओं को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए–किरण राव

राजेश यादव

बॉलीवुड की मशहूर फिल्म आमिर खान की पत्नि रह चुकी निर्माता, प्रोड्यूसर किरण राव किसी परिचय की मोहताज नही हैं। इन्होंने सैफिया कॉलेज मुंबई और विमेन जीमियां मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से एम आनर्स में स्नातक मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की उपाधि ली है। फिल्म जगत में अब तक यह सुपरहिट फिल्में- लगान, डेली बैली, धोबीघाट और पीपली लाइव जैसी फिल्मों को बतौर डायरेक्शन व प्रोड्यूस कर चुकी हैं। इन फिल्मों ने देश दुनिया में बहुत नाम कमाया, सुर्खियां बटोरी एवं लोगों के लिए बहुचर्चित और पसंदीदा फिल्में रही हैं। पिछले दिनों किरण राव से सामाजिक कार्यकर्ता राजेश यादव से इनकी मुलाकात हुई। इस दौरान विभन्नं मुददों पर उनसे बातचीत हुई।

सामाजिक पहल- किरण राव सामाजिक कार्य को करने में भी रुचि रखती हैं एवं सामाजिक मुद्दों व कार्यो में भी अपना योगदान देती रहती हैं। वह जीवन को सरल सहज बनाकर जीना पसंद करती हैं। वह कहती हैं जीवन संघर्षो से भरा पड़ा है। हमें अपने जीवन में चुनौतियों से सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए हर महिलाओं को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

सामाजिक क्षेत्र में योगदान- किरण राव का कहना है कि पानी फाउंडेशन के माध्यम से सूखे से समृद्धि की और गांव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र के लिए हमारा लक्ष्य है सूखामुक्त और समृद्ध महाराष्ट्र बनाना। दशकों से सूखे ने महाराष्ट्र के हजारों गांवों को तबाह कर दिया है, जिससे प्यास, भूख, कर्ज, जबरन पलायन और फसलें सूख गई हैं। सैकड़ों गांवों की यात्रा करने और क्षेत्र के दिग्गजों से बात करने के बाद हमने पाया कि यह संकट काफी हद तक मानव निर्मित है। यह जल और प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन का परिणाम है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारण और बढ़ गया है। इस संकट के उन्मूलन के वैज्ञानिक समाधान जल संरक्षण, जल प्रबंधन और पर्यावरण बहाली के तरीकों में खोजे जा सकते हैं। ये प्रसिद्ध समाधान हैं, जो वर्षो से विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित हैं। हालाँकि इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने में प्राथमिक बाधा गहरी जड़ें जमाने वाली सामाजिक दरारों में हैं। जाति, धर्म, राजनीतिक जुड़ाव और लिंग के विभाजन ने समुदायों को इस मुद्दे के मालिक होने और इसे एक साथ हल करने में उद्देश्य खोजने से रोका है। पानी फाउंडेशन में हम सामूहिक कार्रवाई की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते हैं। हमें विश्वास है कि ग्राम समुदाय को एक साथ लाने वाला व्यापक जन आंदोलन ही इस संकट का सामना कर सकता है। हमारा मिशन सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर और सिद्ध समाधानों और प्रौद्योगिकियों को पैमाना प्रदान करके सूखामुक्त और समृद्ध महाराष्ट्र बनाना है।

अमर-जवान ज्योति को हटाना शहीदों की शहादत का अपमान!

हाल ही में मोदी सरकार ने अमर जवान ज्योति 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के बाद निर्मित एक भारतीय स्मारक पर सैनिकों के सम्मान में जल रही लौ को बुझाने का फैसला लिया है। यह स्मारक इण्डिया गेट पर स्थित है, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी, जो कि 1971 के भारत–पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 में इसका उद्घाटन किया था। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की विजय इंदिरा गांधी की बड़ी उपलब्धि थी। मोदी सरकार के इस फैसले का कांग्रेस सहित कई पूर्व सैनिकों ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार का यह कदम सैनिकों के बलिदान के इतिहास को मिटाने की तरह है। राष्ट्रवाद के सहारे राजनीति करने वाली भाजपा सरकार राष्ट्रप्रेमियों को ही निशाना बनाने में लगी है। यह देश के सैनिकों व शहीदों का अपमान है।

देश में अब राष्ट्रवाद के नाम पर जो राजनीति चमक रही है, उससे देश की परंपरा खासतौर पर फौज से जुड़ी परंपरा काफी आहत हुई है। चाहे बीटिंग रिट्रीट में गांधीजी का प्रिय भजन को हटाना हो, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाना या अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर वार मेमोरियल पर स्थानांतरित करना। इन सबमें राष्ट्रवाद से ज्यादा राजनीति दिख रही है। हर वर्ष 26 जनवरी को प्रधानमंत्री और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अमर जवान ज्योति में शहीदों को नमन कर ही 26 जनवरी की परेड में जाते थे। इस परंपरा को अब खत्म कर दिया गया है, इसके स्थान पर अब से वार मेमोरियल पर नमन कर सारे गणमान परेड पर जाया करेंगे। सरकार के इस एक कदम से आजादी के पहले हुए भारतीय शहीदों को अपमानित कर दिया गया है। भारतीय इतिहास में आजतक के सारे युद्ध सिर्फ फौजी के जज्बे से जीते गए हैं। आज तक हमारे देश के जवानों ने दुश्मनों को पछाड़ा तो वो सिर्फ उन फौजियों के जूनुन और जज्बे के कारण था। ठीक ऐसा ही जज्बा अमर जवान ज्योति को लेकर है।

आखिर देश की सरकार उस पर राजनीतिक राष्ट्रवाद का एक्सपेरिमेंट कर कहीं भविष्य में बड़ी क्षति तो नहीं करने जा रही। अमर जवान ज्योति को हटाकर वार मेमोरियल में स्थानांतरित करना, फौजी परंपरा के विपरीत है, जज्बे से भी अलग है। इन सबसे एक बात तो स्पष्ट है कि इंडिया गेट पर मौजूद भारतीय फौजी की शहादत को सरकार ने राजनीतिक–राष्ट्रवाद के नाम पर अपमानित कर दिया है। हमारे देश के फौजियों के मन को ठेस पहुंचाई है। जो सिर्फ इसलिए ही अपनी जान की परवाह किये लड़ते हैं कि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि देश के नागरिकों में उनके लिए मान है, सम्मान है। और वह सम्मान ऐसे ही प्रतीकों, स्मारकों में मौजूद रहता है।

सरकार किसी भी पार्टी की रहे देश के सैनिकों की शहादत के साथ जोड़कर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वीर जवानों के साथ सम्पूर्ण देशवासियों की हमदर्दी जुड़ी हुई है और अगर इनके सम्मान और वीरता पर राजनीति होगी तो यह देश किसी भी सरकार को माफ नहीं करेगा। यह बात हमारी सरकारों को जरूर समझनी होगी।

विजया पाठक

भ्रष्टाचार, अत्याचार और अंधकार की भूपेश सरकार

पत्रकार को सैनिटाईजर पिलाना अमानवीयता की पराकाष्ठा

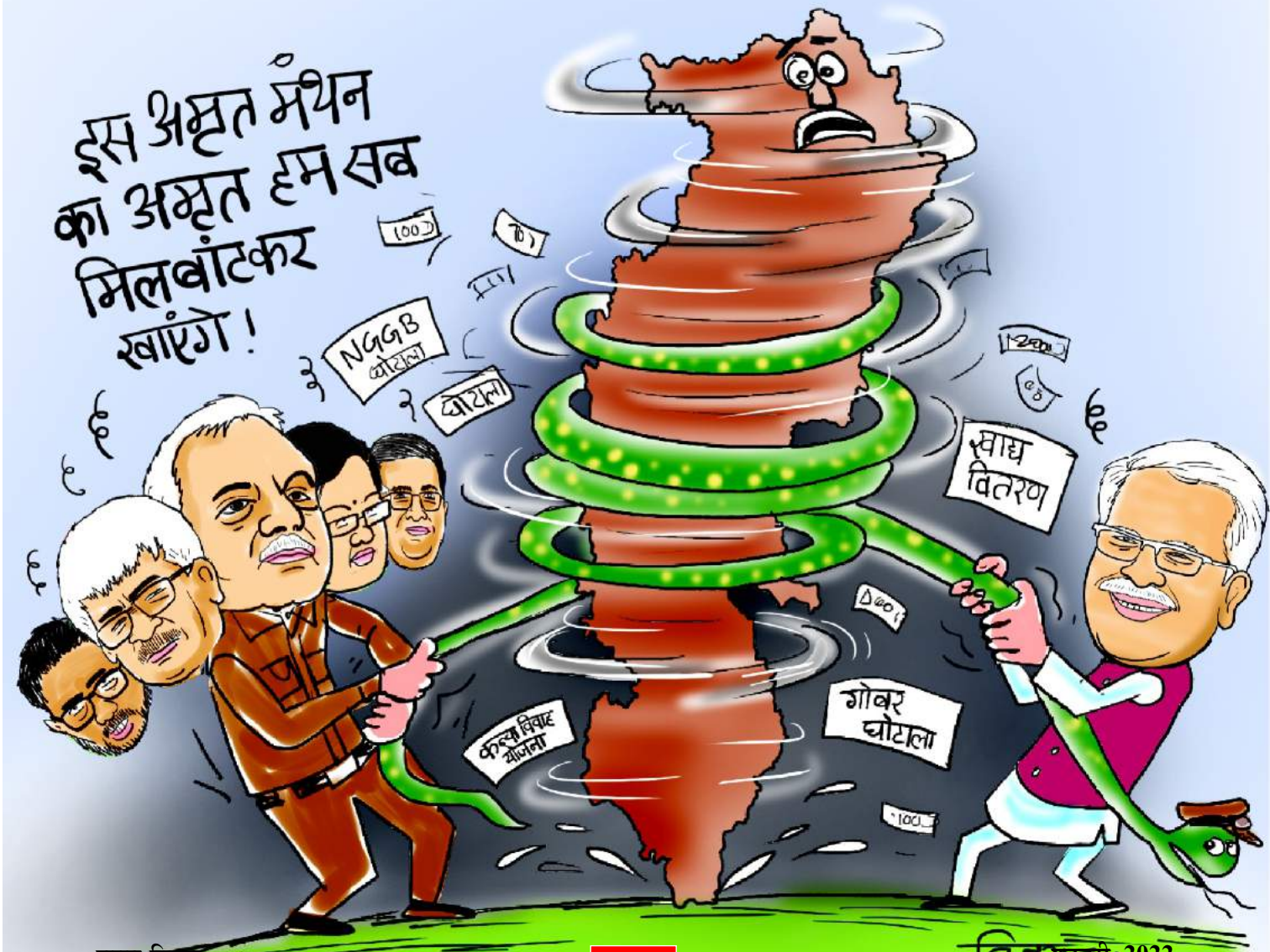

चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नारा दिया था वक्त है बदलाव का, अब जनता कह रही है वक्त है पछताव का। इन लगभग तीन साल में प्रदेश की भूपेश सरकार ने अपनी नाकामियों और नागुजारियों के झंडे गाड़ दिये हैं। जिसका ही नतीजा है कि आज प्रदेश भ्रष्टाचार, अत्याचार, अंधकार, अराजकता और अन्याय में डूब चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की चिंता छोड़ अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। जिसके चलते वह ऐसे फैसलों पर मुहर लगा रहे हैं जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का बंटाढार होना निश्चित है। ताजा मामला एक पत्रकार को झूके केस में फंसाकर सैनेटाईजर पिलाकर मारने का सामने आया है। गनीमत रही कि वह पत्रकार को बच गया लेकिन भूपेश सरकार की सत्ता पर बट्टा जरूर लग गया है। पूरे सिस्टम में कुछ ऐसा ही अमानवीय और अराजकता का शासन चल रहा है। इस सबके बावजूद सरकार में अपनी विफलता की जू तक नहीं रेंग रही है। भ्रष्टाचार की बात करें तो शराब माफिया से लेकर जमीन माफियों की पौ बारह हो रही है। वर्तमान में अकेले रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 700 एकड़ से ज्यादा की बेशकीमती ज़मीनों पर जमीन माफियों का बेनामी कब्ज़ा है। पिछले तीन सालों में फारेस्ट, हाऊसिंग बोर्ड, आवास और पर्यावरण समेत कई और सरकारी विभागों में ठेकेदारी और अन्य गतिविधियों से रोजाना करोड़ों की काली कमाई अर्जित हो रही है। नवा रायपुर 317.79 करोड़ के कर्ज के जाल में फंसा गया है। नवा रायपुर में रोहिंग्गायों की नजर है। मतलब साफ है कि नवा रायपुर ब्लैकमनी खपाने का कारखाना बन गया है और परेशान हो रहे हैं यहां रहवासी। छत्तीसगढ़ में विगत तीन साल से जो लूट हुई, अत्याचार हुआ वैसा इस प्रदेश ने कभी नहीं देखा था। चाहे अवैध शराब टैक्स हो या अवैध कोयला टैक्स। बस हर जगह लूट ही लूट मची हुई है। साथ में मीडिया मैनेज करने के लिए सलाहकार दलाली में लगे हैं। इस लूट, अत्याचार के खिलाफ कोई लिखता या आवाज उठाता है, उसका दमन इस सरकार में किया जाता है। चाहे पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी नौकर सबको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर केस दर्ज कर दिया जाता है। इन लगभग तीन साल में सत्ता का जो नशा भूपेश बघेल पर चढ़ा उसने आम छत्तीसगढ़िया को परेशान कर रखा है। चाहे किसान हो, छोटा व्यापारी, सरकारी नौकर सब इस सरकार के रवैए से परेशान हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार, अत्याचार और अंधकार का गढ़ बनते जा रहे छत्तीसगढ़ की इस कारगुजारी से कांग्रेस नेतृत्व आज भी अंजान बना हुआ है। ताज्जुब है कि प्रदेश की नौकरशाही भी मुख्यमंत्री के पदचिंहों पर चलकर अपने कर्तव्यों को भूलकर अन्याय की राह चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस के हाथ एक बार फिर राज्य फिसलकर किसी दूसरी राजनैतिक पार्टी के हाथ में चला जायेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। यहाँ संवैधानिक संकट के हालात दिनोंदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अघोषित इमरजेन्सी के चलते हकीकत बयां करने वाले पत्रकार जेल की हवा खा रहे हैं। जबकि कानून की धज्जियाँ उड़ाने वालों की पौ बारह है।

अराजकता और अन्याय में डूबा छत्तीसगढ़

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार प्रदेश के इतिहास की सबसे विफल सरकार है। 36 वादों का क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में विगत तीन साल से जो लूट हुई, अत्याचार हुआ वैसा इस प्रदेश ने कभी नहीं देखा था। मची हुई थी। साथ में मीडिया मैनेज करने के लिए सलाहकार दलाली में लगे है। इस लूट, अत्याचार के खिलाफ कोई लिखता है। विकास के काम से सरकार कोसों दूर है। जनता कांग्रेस के वादे के बारे में पूछ रही चाहे अवैध शराब टैक्स हो या अवैध कोयला टैक्स। बस हर जगह लूट ही लूट या आवाज उठाता उसका दमन इस सरकार में किया जाता। चाहे पत्रकार हो,

नवा रायपुर में एनआरडीए की जमीन कुर्क

317.79 करोड़ के कर्ज के जाल में फंसा एनआरडीए

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भले ही प्रदेश के विकास का दावा कर रहे हों, लेकिन उनका ये दावा कितना कारगर है, इसकी हकीकत बयान कर रहा है रायपुर का एनआरडीए (न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथारटी)। प्रदेश की राजधानी नवा रायपुर के विकास की जवाबदारी एनआरडीए की है। सरकार का संचालन इसी इलाके से होता है। मंत्रालय, सचिवालय हों या फिर विभागाध्यक्षों के मुख्यालय नवा रायपुर में ही स्थित हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि बैंको का कर्ज नहीं लौटाने के चलते एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने एनआरडीए चेयरमैन की कुर्सी की कुर्की किए जाने की चेतावनी दी है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 317.79 करोड़ रुपए की उधारी नहीं चुका पाने के कारण नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरटी की 2.659 हेक्टेयर जमीन पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। जानकारों का कहना है कि यह तो एक मात्र बैंक का कर्ज है, अभी तो कर्ज की वसूली के लिए एक दर्जन से ज्यादा बैंक कतार में हैं। इसमें हुडको का 500 करोड़ और अन्य बैंको की 1500 करोड़ से अधिक की धनराशि बकाया है। सूत्र बताते हैं कि नवा रायपुर के कर्ता-धर्ता ब्लैकमनी ठिकाने लगाने में व्यस्त रहे। उन्होंने एनआरडीए की सुध तक नहीं ली, जब सम्पत्ति कुर्क हो गई तो बगले झांकते नजर आए। अब विपक्षी पूंछ रहे हैं, कहाँ उड़ गई विकास की चिड़िया? दरअसल ऐसे हालात अन्य प्राधिकरणों के भी बन रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मिड कॉर्पोरेट शाखा ने कुर्की के पहले अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया था। इसमें बैंक ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को 2 अगस्त 2021 को एक डिमांड नोटिस जारी किया था। इसके जरिए बैंक ने 317 करोड़ 79 लाख 62 हजार 793 रुपयों के साथ ब्याॅज और कानूनी शुल्क आदि देने की मांग हुई थी। कर्जदार एनआरडीए

एनआरडीए का कर्ज भूपेश सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए भी है कि एनआरडीए नवा रायपुर की क्रीम जगह है। जब इस जगह का ही कर्जा एनआरडीए नहीं चुका पा रहा है तो अन्य जगहों पर क्या स्थिति हो रही होगी। निश्चित ही एनआरडीए में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है।

सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी नौकर सब पर केस दर्ज कर दिया जाता है। इन लगभग तीन साल में सत्ता का जो नशा भूपेश बघेल पर चढ़ा उसने आम छत्तीसगढ़िया को परेशान कर रखा है। चाहे किसान हो, छोटा व्यापारी, सरकारी नौकर

को यह राशि चुकाने के लिए बैंक ने 60 दिनों का समय दिया था। इस अवधि के भीतर प्राधिकरण ने वह रकम नहीं चुकाई। मियाद पूरा होने के तीन महीने बाद बैंक ने वसूली की कार्यवाही की है। इसके तहत 12 जनवरी को नवा रायपुर के कयाबांधा और बरोडा

यह एनआरडीए के कुप्रबंधन का ही नतीजा है कि वह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। भूपेश बघेल, आर.पी.मण्डल और मो.अकबर ने एनआरडीए को गर्त में पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।

गांव की 2.659 हैक्टेयर जमीन को बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक़ एनआरडीए की तर्ज़ पर राज्य सरकार भी भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। राज्य सरकार ने भी पिछले तीन साल में 51 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। अब सरकार पर ऋण भार अनुमानित राजस्व आय का 106 प्रतिशत हो गया है। मतलब जितनी आय संभावित है उससे कहीं अधिक कर्ज है। बजट 2021-22 के मुताबिक प्रदेश में 79 हजार 325 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं। कर्ज की यह मात्रा छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद का 22 प्रतिशत होता है। पूर्ववर्ती सरकार भी 41 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा था। उधर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण की बदहाली पर विपक्ष ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा आज बैंक नवा रायपुर की संपत्तियों पर कब्जा ले रहा है। कल छत्तीसगढ़ महतारी भी गिरवी हो जाएगी। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा है, ये है गर्त में जाता कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल। आज कर्ज न चुकाने पर बैंक नवा रायपुर की सरकारी संपत्तियों को कब्जे में ले रहा है। भूपेश बघेल सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और कर्ज लो, घी पियो की आदत से विधानसभा, मंत्रालय, चौक-चौराहों के साथ छत्तीसगढ़ महतारी गिरवी हो जाएगी।

उधर एनआरडीए के दिवालिया होने की स्थिति के लिए विभागीय मंत्री मो. अकबर बीजेपी सरकार पर उँगलियाँ उठा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वर्तमान सरकार के ज़िम्मेदार अधिकारियों ने एनआरडीए की खराब वित्तीय स्थिति को लेकर उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं दी। मंत्री के इस बेतुके बयान से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बताया जाता है कि एनआरडीए और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में मंत्री मो. अकबर के भाई मो. असगर ने सर्वाधिक ठेके लिए थे। ठेकेदार असगर के उंची दरों पर लिए गए ठेके और गुणवक्ताविहीन कार्यो के चलते एनआरडीए को जमकर चूना लगा है। मंत्री अकबर क्या अपने भाई के काले कारनामों की जांच करवाएंगे? अपनी नाकामी छिपाने के लिए सत्ता में आने के तीन साल बाद मंत्री अकबर बीजेपी सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

सब इस सरकार के रवैए से परेशान हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार, अत्याचार और अंधकार का गढ़ बनते जा रहे छत्तीसगढ़ की इस कारगुजारी से कांग्रेस नेतृत्व आज भी अंजान बना हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस के हाथ

एनआरडीए की खस्ता हालत के लिए

पूर्व मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल जिम्मेदार

एनआरडीए की खस्ता हालत के लिए पूर्व मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल को भी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। रिटायर होने के बाद आर.पी. मण्डल को एनआरडीए का चेयरमैन बनाया गया था। कुर्सी मिलने के बाद मण्डल उसपर सो गए। उन्होंने एनआरडीए को कर्ज़ मुक्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया अपितु नई राजधानी और उसके आसपास के इलाको में जमीन की खरीदी बिक्री में जुटे रहे। सूत्र बताते हैं कि रिटायरमेंट के आख़िरी दिनों तक आर.पी.मंडल ने नई राजधानी और धमतरी रोड पर बड़े पैमाने पर नामी–बेनामी जमीने खरीदी थी। आर.पी. मण्डल वही अधिकारी हैं जो अपने से छोटे अधिकारियों की सेवा जाफ्ता कर एनआरडीए के चेयरमेन पद तक पहुँचे हैं। इनकी सेवादारी से एक प्रतिष्ठित संस्था का बंटाढार हो गया है। अब भूपेश सरकार जवाब दें कि आखिर कब तक चाटूकार अधिकारियों से प्रदेश का बंटाढार करवाते रहेंगे।

एक बार फिर राज्य फिसलकर किसी दूसरी राजनैतिक पार्टी के हाथ में चला जायेगा। इस समय प्रदेश में कोयला व्यापारियों को प्रति टन कोयला का 10-15 प्रतिशत पैसा या अवैध टैक्स देना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का एक सेंट्रलाइड सिस्टम बना दिया गया है। प्रदेश की ढाई करोड़ जनता को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश मे विकास की गंगा बहेगी पर खोखले वादों तथा सत्ता पाने के लिए आम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली इस भूपेश बघेल सरकार के लिए आने वाले दिन बहुत भारी पडने़ वाले हैं। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भूपेश बघेल जनता के गाढ़े पसीने की कमाई के करोड़ों अरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल राष्ट्रीय हीरो बनने की चाहत में पानी की तरह पैसा बहाकर आम जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहे हैं। नरवा, गरुवा, घूरवा और बारी की हकीकत बेनकाब हो चुकी है। गोठान की सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर रसूखदार कांग्रेसियों तथा भू-माफियाओं का कब्जा हो चुका है। लगभग तीन साल के काल में ही पूरे प्रदेश के सैकड़ों तालाब पाटकर बेच दिए गए हैं।

भूपेश बघेल की खास सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट ने हर्जाने की वसूली का किया आदेश

मंत्री मो.अकबर के संरक्षण में भू-माफिया मो.असगर की नवा रायपुर पर नज़र

नवा रायपुर अटल नगर के हालात दिनोंदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस इलाके में आम लोग हों या किसान, उनकी जमीनों पर सत्ताधारी भूपेश बघेल सरकार के आवास और पर्यावरण मंत्री अकबर खान के भाई मो. असगर का कब्ज़ा होता जा रहा है। इस मो. असगर और उसके कुनबे ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया है। उनके प्रभाव में एनआरडीए (न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथारटी) और टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के अफसर किसी निजी मुलाजिम की तरह लोगों के घरों में दबिश दे रहे हैं। सरकारी गाड़ियों में लदकर अफसरों का हुजूम लोगों के घरों और परिसरों में जोर ज़बरदस्ती दाखिल होकर नोटिस थमा रहे हैं। लोगों को धमकाते हुए उनके घरों को तोड़ने के लिए गैरकानूनी रूप से नोटिस तक चस्पा किए जा रहे हैं। नई राजधानी के ज्यादातर इलाकों में निवासरत लोगों पर बगैर अनुमति निर्माण का आरोप लगाकर उनके घरों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। अन्यथा जमीनों को मो. असगर को सौंपे जाने का दबाव डाला जा रहा है। इसके लिए एनआरडीए के साथ-साथ टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के अफसर कानूनी दांव पेंचों का सहारा लेकर नागरिकों पर भारी दबाव दाल रहे हैं। नई राजधानी के लेयर-2 और लेयर-3 के कई घरों में इस तरह के नोटिस को लेकर तनाव का माहौल है। राजधानी रायपुर में अभी दावते इस्लामी को जमीन आवंटन का मामला शांत पड़ा नहीं कि नई

आवास और पर्यावरण मंत्री मो.अकबर

राजधानी में देश विरोधी तत्वों की चहलकदमी चर्चा का विषय बनी हुई है।

लोगों ने उन चस्पा किए गए नोटिस की पूरी दास्तान बताई। पीड़ितों ने बताया कि नोटिस प्राप्त होने के चंद घंटों के भीतर कुछ अजनबी लोग उन पर ज़मीन बेचने के लिए दबाव डालने लगे। इलाके का जायजा लेने पर यह भी पता चला कि रायपुर एयरपोर्ट के सामने स्थित हज हॉउस के चारों ओर की जमीनें हथियाने के लिए टीम मो. असगर जोर आजमाइश में

पिछले दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पर बड़ी टिप्पणी की थी। कार्यकारी चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा था कि पूरा छत्तीसगढ़ राज्य गोबर राज्य है। हाईकोर्ट की टिप्पणी से पूरे राज्य सरकार की फजीहत हो गई। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने तल्ख लहजे में यह टिप्पणी की है कि छत्तीसगढ़ में कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। पूरा राज्य गोबर राज्य है। जस्टिस मिश्रा ने यह कड़ी टिप्पणी एम.एम.पी.वाटर स्पोर्ट्स बनाम छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए की थी। दरअसल स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढा तालाब रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स के दोबारा टेंडर करने को लेकर एमएमपी वाटर स्पोर्ट्स

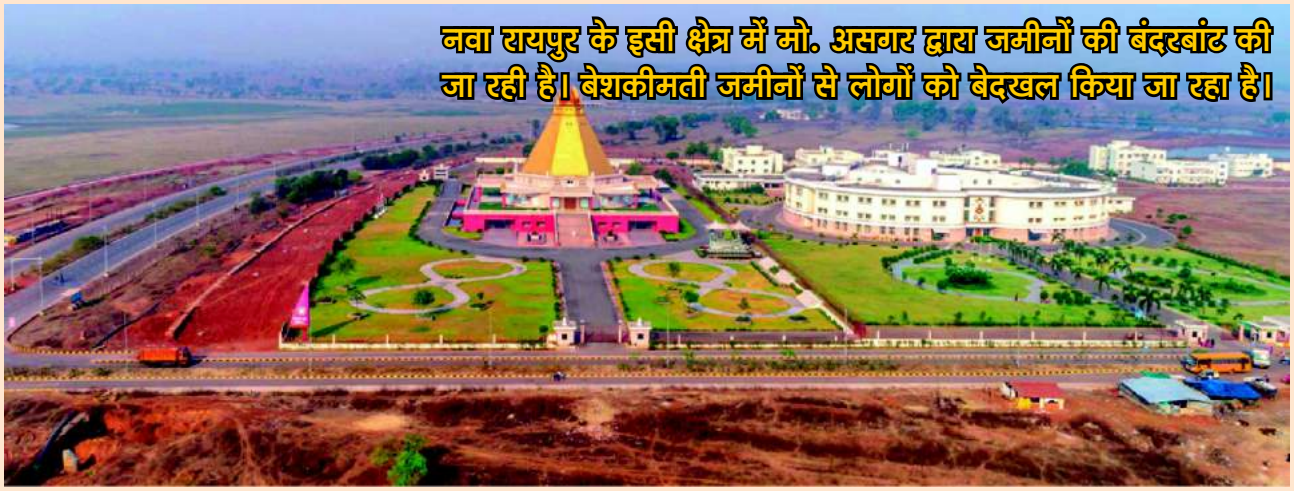

नवा रायपुर के इसी क्षेत्र में मो. असगर द्वारा जमीनों की बंदरबांट की जा रही है। बेशकीमती जमीनों से लोगों को बेदखल किया जा रहा है।

जुटी है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि जमीनों के दलाल और कोई नहीं बल्कि मो. असगर और उसके कुनबे से जुड़े लोग हैं। ये लोग इस इलाके के साथ-साथ धमतरी और महासमुंद रोड पर सक्रिय हैं। यहाँ ब्लैकमनी खपाने के लिए ऐसे लोगों को गिरफ्त में लिया जा रहा है, जो नकद रकम के चक्कर में अपनी जमीन इन्हें सौंपने को तैयार हों। इसके अलावा कानूनी दांव पेचों के चक्कर में पड़ने के बजाए आसानी से इनके झांसे में आ जाए।

नई राजधानी के लेयर-2 और लेयर-3 के गांव में निवासरत लोग कई सालों से यहाँ काबिज़ हैं। वे अपनी जमीन पर खेती किसानी कर रहे हैं या फिर पौधारोपण कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। अचानक इस तरह के नोटिस मिलने से ये लोग तनाव में हैं। उनकी दलील है कि एनआरडीए तो हाल ही के वर्षो में अस्तित्व में आया है जबकि वे लोग कई पीढ़ियों से यहाँ बसे हैं। उनके मुताबिक़ ग्राम पंचायत का इलाका होने के चलते उनके द्वारा अपनी भूमि स्वामी जमीन पर कृषि कार्य के लिए उन्होंने अस्थाई-स्थाई निर्माण किया था। इसके लिए एनआरडीए से मंजूरी जैसा कोई नियम प्रभावशील नहीं था। अचानक उन्हें गैर कानूनी निर्माण के नोटिस थमाए जा रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक़ इन लोगों को उनके घर तोड़ने का पहले सरकारी नोटिस दिया जाता है फिर प्रभावशील असगर के दलाल पीड़ितों से सम्पर्क कर उनकी जमीन हथियाने में जुट जाते हैं।

गौरतलब है कि नवा रायपुर में लोगों को बसाने के लिए पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने भरसक प्रयास किए थे। इसके बाद सत्ता में आई कांग्रेस ने भी इन इलाकों में बसाहट के लिए प्रयास जारी रखा। सरकारी योजनाओं के तहत रिक्त पड़े आवासों को रियायती दरों पर जरुरतमंदों को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाया गया। निजी सेक्टर को भी आवासीय योजानाओं के लिए इन इलाकों में

द्वारा बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अलावा रायपुर नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भी पक्षकार बनाया गया था। गौरतलब है कि राज्य बनने के बाद यह पहला मौका होगा, जब हाईकोर्ट ने ऐसी गंभीर टिप्पणी की हो। पूरा छत्तीसगढ़ इस टिप्पणी से शर्मसार हो गया है। राज्य के विपक्षी दलों का कहना है कि अब जरा भी नैतिकता बची हो तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

दांगी अफसरों के भरोसे भूपेश बघेल सरकार

असल में सरकार तो सुपर सी.एम.

यह नये रायपुर में स्थित एयरपोर्ट के सामने हज हाऊस है। इसके आसपास ही स्थानीय लोगो को हटाकर रोहिंग्याओं को बसाने का षडयंत्र रचा जा रहा है।

हरी झंडी दी गई। व्यवसायिक बढ़ोत्तरी के लिए भी यहाँ कई प्रतिष्ठानों को खोलने की रूपरेखा तैयार की गई। इनके संचालन में एनआरडीए के अलावा अन्य संस्थाओं को भी जोड़ा गया। लेकिन इन दिनों ऐसी तमाम योजनाओं को धत्ता बताकर असगर और उसके गुर्गे कांग्रेस सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। गौरतलब है कि एनआरडीए के गठन में इस तरह की किसी भी कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत का इलाका होने के चलते टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के प्रावधान भी यहाँ विधि संगत रूप से लागू नहीं होते। लेकिन मो. असगर के प्रभाव और उसके गैर कानूनी सलाहकारों के इशारे पर यहाँ कानूनी दांवपेंचों का खेल जोरों पर है। गुर्गे दावा कर रहे हैं कि वे भारतीय कानून नहीं बल्कि इस्लामिक शरीयत के पक्षधर हैं। पीड़ितों की मांग है कि एनआईए, आयकर और ईडी के अफसरों को अजगर और उसके कुनबे की अरबों की जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच करनी चाहिए। आखिर इनके हांथों में ब्लैकमनी भंडार कैसे लग गया? क्या इन्हें देश विदेश से धन मुहैया हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि रायपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलो में रोहिंग्गायो को बसाने के लिए सुनियोजित योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक़ इन इलाकों में खरीदी जा रही जमीनों पर रोहिंग्गायों को बसाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। खासतौर पर नवा रायपुर हज हॉउस के चारों ओर स्थित गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही और उनकी संदिग्ध गतिविधियों को इस

महिला अधिकारी, दागी आई.ए.एस. और सलाहकार मिलकर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से लेकर राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। पहले से ही भूपेश बघेल सरकार पर लाखों-करोड़ों रुपये के घोटाले और हेराफेरी को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। उद्योग विभाग के संचालक के पद पर कार्यरत अनिल टुटेजा के बारे में तो कहा गया कि वह मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया के साथ मिलकर वे सरकार के सारे फ़ैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की इस कार्यशैली से सवाल उठना तो लाजमी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

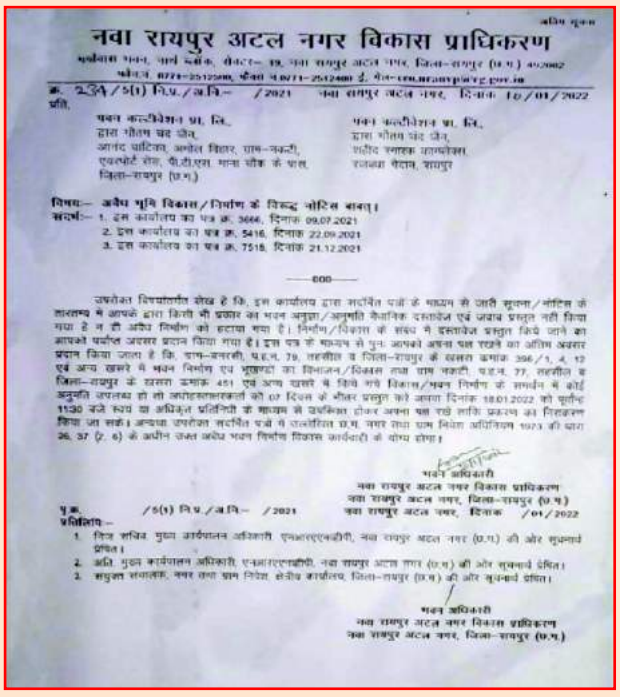

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

क्र. 234/5(1) नि.प./अ.नि.– /2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/01/2022

प्रति,

पवन कल्टीवेशन प्रा. लि., द्वारा गौतम चंद जैन, आनंद वाटिका, अशोक विहार, ग्राम–नकटी, एयरपोर्ट रोड, पी.टी.एस. माना चौक के पास, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पवन कल्टीवेशन प्रा. लि., द्वारा गौतम चंद जैन, शहीद स्मारक ..., रायपुर

विषय:– अवैध भूमि विकास/निर्माण के विरुद्ध नोटिस बाबत्।

संदर्भ:– 1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 3666, दिनांक 09.07.2021
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 5416, दिनांक 22.09.2021
3. इस कार्यालय का पत्र क्र. 7518, दिनांक 21.12.2021

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से जारी सूचना/नोटिस के तारतम्य में आपके द्वारा किसी भी प्रकार का भवन अनुज्ञा/अनुमति वैधानिक दस्तावेज एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही अवैध निर्माण को हटाया गया है। निर्माण/विकास के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का आपको पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। इस पत्र के माध्यम से पुनः आपको अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि, ग्राम–बनरसी, प.ह.न. 79, तहसील व जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 396/1, 4, 12 एवं अन्य खसरे में भवन निर्माण एवं भूखण्डों का विभाजन/विकास तथा ग्राम नकटी, प.ह.न. 77, तहसील व जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 451 एवं अन्य खसरे में किये गये विकास/भवन निर्माण के समर्थन में कोई अनुमति उपलब्ध हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा दिनांक 18.01.2022 को पूर्वान्ह 11:30 बजे स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके। अन्यथा उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लेखित छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36, 37 (2, 6) के अधीन उक्त अवैध भवन निर्माण विकास कार्यवाही के योग्य होगा।

भवन अधिकारी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. /5(1) नि.प./अ.नि.– /2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /01/2022

प्रतिलिपि –
1. निज सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरएडीए, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरएडीए, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

भवन अधिकारी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

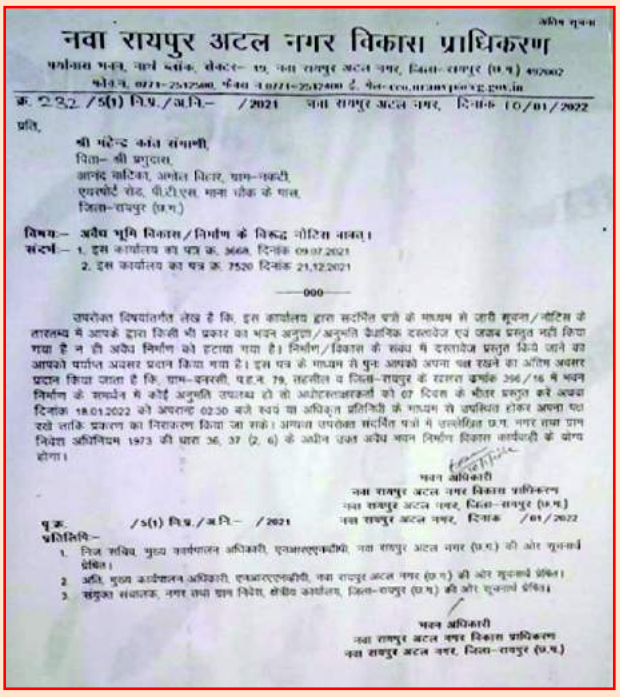

क्र. 232/5(1) नि.प./अ.नि.– /2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/01/2022

प्रति,

श्री महेन्द्र कांत संघानी, पिता– श्री प्रभुदास, आनंद वाटिका, अशोक विहार, ग्राम–नकटी, एयरपोर्ट रोड, पी.टी.एस. माना चौक के पास, जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय:– अवैध भूमि विकास/निर्माण के विरुद्ध नोटिस बाबत्।

संदर्भ:– 1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 3668, दिनांक 09.07.2021
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 7520 दिनांक 21.12.2021

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से जारी सूचना/नोटिस के तारतम्य में आपके द्वारा किसी भी प्रकार का भवन अनुज्ञा/अनुमति वैधानिक दस्तावेज एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही अवैध निर्माण को हटाया गया है। निर्माण/विकास के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का आपको पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। इस पत्र के माध्यम से पुनः आपको अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि, ग्राम–बनरसी, प.ह.न. 79, तहसील व जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 396/16 में भवन निर्माण के समर्थन में कोई अनुमति उपलब्ध हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा दिनांक 18.01.2022 को अपरान्ह 02:30 बजे स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके। अन्यथा उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लेखित छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36, 37 (2, 6) के अधीन उक्त अवैध भवन निर्माण विकास कार्यवाही के योग्य होगा।

भवन अधिकारी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. /5(1) नि.प./अ.नि.– /2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /01/2022

प्रतिलिपि –
1. निज सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरएडीए, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरएडीए, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

भवन अधिकारी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

यह अटल नगर, नवा रायपुर के रहवासियों को भेजे गए नोटिस है, जिनमें बताया गया है कि आपके द्वारा भवन अनुज्ञा/भवन निर्माण अनुमति के संबंध में वैधानिक दस्तावेज एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि इस तरह से इनके आवासों को अवैध घोषित करने का षड्यंत्र रचा गया है ताकि यहां पर रोहिंग्याओं को बसाने का रास्ता साफ हो जाए।

योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों के मुताबिक़ एनआरडीए और टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के अफसरों की कार्यप्रणाली पर भी केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों को बारीकी नजर रखना चाहिए। ताकि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के लिए यह इलाका रैन बसेरा न बन जाए।

चर्चा है कि अकेले रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 700 एकड़ से ज्यादा की बेशकीमती ज़मीनों पर असगर और उसके कुनबे का नामी बेनामी कब्ज़ा है। पिछले तीन सालों में फारेस्ट, हाऊसिंग बोर्ड, आवास और पर्यावरण समेत कई और सरकारी विभागों में ठेकेदारी और अन्य गतिविधियों से टीम मो. असगर रोजाना करोड़ों की काली कमाई अर्जित कर रही है। जानकारी के मुताबिक़ दावते इस्लामी जैसे कई संगठन मो. असगर की सरपरस्ती में प्रदेश में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। यह भी बताया जाता है कि कांग्रेस आलाकमान और उसके बड़े नेता टीम मो. असगर की संदिग्ध गतिविधियों से बेखबर हैं। लिहाज़ा इसके चलते ऐसे तत्वों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही शुरू नहीं हो पा रही है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस तरह के मामले कांग्रेस के गले की फांस बनेंगे।

भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। यह मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचारी अधिकारियों की सांठगांठ की ओर इशारा करता है। इससे लगता है कि भूपेश बघेल खुद भ्रष्टाचारी गिरोह के सदस्य हैं। जबसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस हाईकमान के आदेशों की अवहेलना शुरू की है तबसे कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व भूपेश बघेल से काफी खफा चल रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो उनसे बात करना ही बंद कर दिया है और बताया जा रहा है कि हाईकमान ऐसे मौके की तलाश में है जब भूपेश बघेल को अपने किए बर्ताव का खामियाजा भुगतना पड़े। इसी का असर है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री एकला चलो की

दबाव में भूपेश सरकार ने पाकिस्तानी संगठन को दी जा रही 25 एकड़ जमीन की अनुमति रद्द की

छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर में दावते इस्लामी नाम के संगठन को 25 एकड़ (10 हैक्टेयर) जगह आवंटित कर रही थी। जिसे काफी दबाव के बाद रद्द कर दिया गया है। दावते इस्लामी एक पाकिस्तानी संगठन है, जिसकी शाखाएं हमारे देश में खोलने का काम यह कांग्रेसी कर रहे थे। दावते इस्लामी के ऊपर मतांतरण और आतंकवाद फैलाने व चंदे के जरिए फंडिंग के आरोप लग चुके हैं और इस संगठन से जुड़े आतंकवादियों, जासूसों को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा था। छत्तीसगढ़ के दावते इस्लामी संगठन ने अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तानी संस्थापक इलियास कादरी की फोटो भी पोस्ट की है। पाकिस्तानी संगठन और छत्तीसगढ़ दावते इस्लामी संगठन का चिन्ह भी एक ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे पाकिस्तानी संगठन को 10 लाख 76 हजार स्क्वायर फीट जगह सामुदायिक भवन के लिए दान कर रही थी। क्या इतिहास में किसी भी समाज को सामुदायिक भवन बनाने के लिए इतनी बड़ी जगह आवंटित की गई है? क्या सामुदायिक भवन बनाने के लिए 25 एकड़ जगह लगती है? ऐसे पाकिस्तानी संगठन को इतनी बड़ी जगह आकाओं के आदेश पर आवंटित करने के पीछे भूपेश सरकार की क्या मंशा थी?

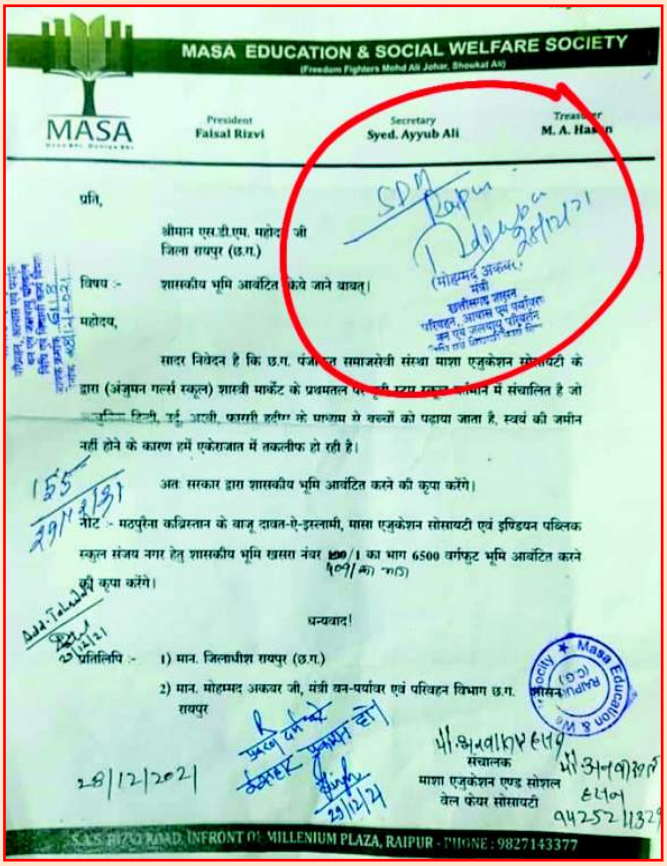

MASA EDUCATION & SOCIAL WELFARE SOCIETY
(Freedom Fighters Mohd Ali Johar, Shoukat Ali)

MASA

President Faisal Rizvi | Secretary Syed. Ayyub Ali | Treasurer M. A. Hasan

प्रति,

श्रीमान एस.डी.एम. महोदय जी
जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :- शासकीय भूमि आवंटित किये जाने बावत्।

महोदय,

सादर निवेदन है कि छ.ग. पंजीकृत समाजसेवी संस्था माशा एजुकेशन सोसायटी के द्वारा (अंजुमन गर्ल्स स्कूल) शास्त्री मार्केट के प्रथमतल पर ... में संचालित है जो ... हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी ... के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्वयं की जमीन नहीं होने के कारण हमें एकेराजात में तकलीफ हो रही है।

अतः सरकार द्वारा शासकीय भूमि आवंटित करने की कृपा करेंगे।

नोट :- मठपुरैना कब्रिस्तान के बाजू दावत-ऐ-इस्लामी, मासा एजुकेशन सोसायटी एवं इण्डियन पब्लिक स्कूल संजय नगर हेतु शासकीय भूमि खसरा नंबर 100/1 का भाग 6500 वर्गफुट भूमि आवंटित करने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद!

प्रतिलिपि :- 1) मान. जिलाधीश रायपुर (छ.ग.)
2) मान. मोहम्मद अकबर जी, मंत्री वन-पर्यावर एवं परिवहन विभाग छ.ग. शासन रायपुर

28/12/2021

संचालक
माशा एजुकेशन एण्ड सोशल
वेल फेयर सोसायटी

S.A.S. RIZVI ROAD, INFRONT OF MILLENIUM PLAZA, RAIPUR - PHONE : 9827143377

मो. अकबर का यह वही पत्र है जिसमें जमीन आवंटित करने की मांग की गई थी।

राह पर चलने को मजबूर हैं। ऐसे कई अवसरों पर देखा है कि सरकार के फैसलों में मंत्रीमंडल का सहयोग नहीं मिला है। सीएम अकेले ही चलते दिखाई दे रहे हैं। कहने को तो वह मुख्यमंत्री हैं और उनके सहयोग के लिए पूरा मंत्रीमंडल हैं लेकिन मंत्रीमंडल के काफी सदस्य सीएम से नाराज चल रहे हैं। सरकार में वह केवल नाम के मंत्री हैं। उन्हें न केवल सीएम का सहयोग मिल रहा है और न ही वह (मंत्री) सीएम का समर्थन कर रहे हैं। सरकार इस समय अराजकता के माहौल से गुजर रही है। दरअसल जबसे प्रदेश में ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री के फार्मूले पर भूपेश बघेल अपने वादे से मुकरे हैं और पार्टी हाईकमान के

आखिर भूपेश सरकार को दावत-ए-इस्लामी संगठन को 25 एकड़ जमीन देने की क्या जरूरत पड़ी? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में भी कई ऐसे संगठन हैं, जो देश के विकास में, समाज के कल्याण में अपना योगदान देना चाहते हैं। क्या ऐसे समाजसेवी संगठनों को जमीन क्यों नही देना चाहिए। पाकिस्तानी संगठनों को जमीन आवंटित कर क्या भूपेश सरकार प्रदेश में आतंकवाद को पनपने का अवसर देना चाहते थे। ऐसे गंभीर मामले पर केन्द्र सरकार या जाँच एजेंसियों को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा जरूर ही खतरे में होती। शुक्र हैं तमाम दबावों के बाद भूपेश बघेल को झुकना पड़ा। नहीं तो सरकार ने तो जमीन आवंटित करने का पूरा फैसला कर लिया था।

आदेश की अवहेलना की है तबसे माहौल और ज्यादा खराब हो गया है। पार्टी हाईकमान ने तो बघेल को दिल्ली बुलाकर इस्तीफा देने का फरमान जारी कर दिया था और किसी अन्य को सीएम बनाने की बात कही गई थी। लेकिन भूपेश बघेल ने इस्तीफा देना तो दूर हाईकमान के आदेश की अवहेलना करते हुए बगावत का रास्ता अपना लिया था। सरकार के कई मंत्री और विधायक भूपेश बघेल के इस रवैये से काफी नाराज चल रहे हैं। जिसका ही असर है कि राय में कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है।

शराब बिक्री से होने वाले राजस्व का 75 फीसदी हिस्सा कमीशनखोरी में- राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर पहले से ही लाखों-करोड़ों रुपये के घोटालों और हेराफेरी की चर्चाएं होती रही हैं। कमीशनखोरी चरम पर है। आबकारी विभाग को होने वाली आमदनी को केवल पच्चीस फीसदी ही सरकार के खजाने में पहुंच रहा है बाकी 75 फीसदी रकम कमीशनखोरों के जेब में जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस कमीशनखोरी से अंजान नहीं हैं। सीएम खुद जानबूझकर इस गोरखधंधे को हवा दे रहे हैं

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए थे दावते-ए-इस्लामी संगठन को जमींन देने के मामले पर सवाल

भूपेश सरकार पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि भूपेश सरकार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाकिस्तानी संस्था को छत्तीसगढ़ में पनाह दे रही है। दावत–ए–इस्लामी संस्था को रायपुर के बोरियाखुर्द में सामुदायिक भवन बनाने सरकार अनुमति दे रही थी उन्होंने दावा किया कि दावत ए इस्लामी के विदेशी फंडिंग, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने और धर्मांतरण करने के मामले सामने आ चुके हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आवेदन 10 सालों से पेंडिंग पड़े हैं, मगर 2020 में आवेदन करने वाली इस संस्था को अब फौरन जमीन देने की तैयारी की थी। इसका इश्तिहार छपवाया गया था। बृजमोहन अग्रवाल ने मांग करते हुए सरकार से कहा कि सरकार यह बताए कि इस संस्था का हेड क्वार्टर कहां है और इस संस्था को इतने फौरी तौर पर जमीन देने की क्या जरूरत थी। दावत–ए–इस्लामी पाकिस्तान में स्थित एक सुन्नी इस्लामी संगठन है। दुनिया भर में इसके कई इस्लामी शिक्षण संस्थान हैं। ये इस्लाम की तालीम देने और सामाजिक कार्य करने का दावा करते हैं। इसकी स्थापना 1981 में कराची, पाकिस्तान में मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तर ने की थी। दावत–ए–इस्लामी दुनिया के 194 से अधिक देशों में सक्रिय है। इसके नाम का मतलब इस्लाम की ओर आमंत्रण था।

और खुलेआम मची लूट के हिस्सेदार बने हुए हैं। हम जानते हैं कि प्रदेश में शराब की बिक्री से बहुत बड़ी रकम प्राप्त होती है। यह प्रदेश सरकार की कमाई का बड़ा जरिया है। लेकिन यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। प्रत्येक दिन करोड़ों रूपये के राजस्व का नुकसान राज्य सरकार हो रहा है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बोर्ड के अधिकारी फैक्ट्री मालिकों से मोटी रकम लेकर नियमों की धज्जियां उड़वा रहे हैं। रायपुर समेत प्रदेश के अन्य शहरों में भी जहां-जहां फैक्ट्रियां हैं सब जगह यही स्थिति है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल और धुंए से आमजनों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में सीएम हाउस तक भ्रष्टाचार का पैसा पहुंचता है।

आदिवासी कर रहे आंदोलन- प्रदेश के आदिवासी अपनी परेशानियों को लेकर कई जगह आंदोलन कर रहे हैं। बीते 14 अक्टूबर 2021 से राज्य के सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा ज़िले के बीस से ज्यादा गांवों के आदिवासी हसदेव अरण्य

क्षेत्र में कोयला खदान खोले जाने के ख़िलाफ़ धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि कोल ब्लॉक के लिए पेसा कानून और पांचवी अनुसूची के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। परसा कोयला खदान हेतु पेसा कानून 1996 और पांचवीं अनुसूची के

पत्रकारों पर भूपेश बघेल का सख्त पहरा

पत्रकार सुनील नामदेव को हिरासत में पिलाया सैनेटाईजर

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव के गिरफ्तार होने और उनके आफिस-घर में बगैर सर्च वॉरेंट सर्च और कंप्यूटर-लैपटॉप की जप्ती किये जाने और इन दोनों ही सामग्री का ब्यौरा कोर्ट में पेश न किये जाने को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यवाही सवालों के घेरे में है। सवाल यह भी उठ रहा है कि उस कम्प्यूटर-लैपटॉप में ऐसा क्या था जिसके चलते बगैर सर्च वॉरेंट के सुनील नामदेव के आफिस-घर में पुलिस को दाखिल होना पड़ा। इस मामले की जांच ही नहीं बल्कि आला अधिकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किये जाने को लेकर सुनील नामदेव ने रायपुर एसपी को आवेदन भेजा था। इस आवेदन में उन्होंने रायपुर के तत्कालीन एसपी अजय यादव और मैजूदा रेंज आईजी आनंद छाबरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दस्तावेजी प्रमाणों और तथ्यों के साथ भेजी गई शिकायत को लेकर अधिकारी पशोपेश में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि

संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में करीब एक लाख सत्तर हजार हेक्टेयर में फैले हसदेव अरण्य के वन क्षेत्र में जंगलों पर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों ने जंगलों

ये है रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय। यही पर लाकर पत्रकार सुनील नामदेव को पुलिस हिरासत में सैनिटाईजर पिलाया गया था।

आखिर कैसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में पूछताछ की जाए। उधर इस तथ्य को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है कि आखिर उस कम्प्यूटर-लैपटाप में ऐसा क्या मटेरियल था, क्या कोई स्टिंग आपरेशन था जिसे हासिल करने के लिए पुलिस आधिकारियों ने कानून को ताक में रखकर सुनील नामदेव को अपनी हिरासत में ले लिया था। फिर उनके आफिस से चार लैपटॉप और चार कंप्यूटर को लेकर चम्पत हो गए। यही नहीं 21 मार्च 2021 को घटित इस वाक्ये के बाद पुलिस ने सुनील नामदेव की दो दिनों तक कस्टडी रिमांड ली। पुलिस हिरासत में उन्हें सैनेटाइजर पिलाकर उनकी जान लेने का प्रयास किया गया। जानकारी के मुताबिक रायपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडर अस्पताल में एमएलसी दर्ज कर डॉक्टरों ने फौरन इलाज कर उनकी जान बचायी। यही नहीं 23 मार्च 2021 को पुलिस रिमांड खत्म होने के दौरान जब सुनील नामदेव को कोर्ट में पेश किया गया तब इस घटना के संज्ञान में आते ही कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इस दौरान रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रायपुर एएसपी को निर्देश दिया कि इस घटना की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही से कोर्ट को भी अवगत कराया जाए। यह तथ्य भी सामने आया कि पत्रकार सुनील नामदेव ने कोर्ट को बताया था कि कुछ स्टिंग आपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया और आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा उनकी जान लेना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि पुलिस हिरासत में प्लांनिग के साथ उन्हें सैनेटाइजर पिलाया गया। गंभीर तथ्य यह भी है कि इस घटना के आठ माह बीत जाने के बावजूद पुलिस ने इस मामले की कोई जांच नही की। सुनील नामदेव के खिलाफ 21 मार्च से लेकर 25 मार्च अर्थात चार दिनों में रायपुर पुलिस ने चार मामले पंजीबद्ध किये थे। इन चारों ही मामलों की वैधानिकता और एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर भी सुनील नामदेव ने कोर्ट से गुहार लगाई

को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल इस पूरे वनक्षेत्र में कोयले का अकूत भंडार छुपा हुआ है और यही इन जंगलों पर छाए संकट का कारण भी है। पूरे इलाके में कुल 20 कोल ब्लॉक चिह्नित हैं, जिसमें से 6 ब्लॉक में खदानों के खोले जाने

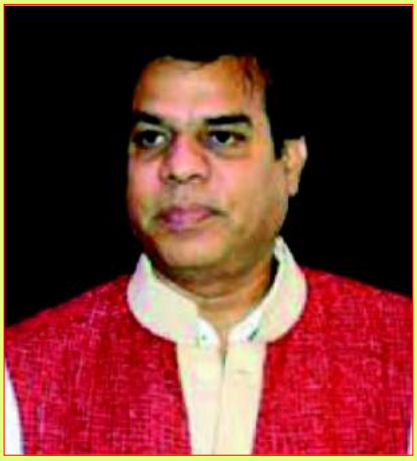

सुनील नामदेव

सौम्या चौरसिया

आनन्द छाबड़ा

पत्रकार सुनील नामदेव ने भूपेश सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों सौम्या चौरसिया और आनंद छाबड़ा पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। नामदेव का कहना है कि इन दोनों के कहने पर ही मुझे सैनिटाईजर पिलाया गया था। नामदेव ने सैनिटाईजर पिलाने की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में की है।

है। छत्तीसगढ़ पुलिस के कुछ चुनिंदा अफसरों ने आखिर सुनील नामदेव के खिलाफ किसके निर्देश पर मोर्चा खोला और उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का मकसद क्या था? इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। कोर्ट में प्रस्तुत पुलिस चालान के दस्तावेजों से इस साजिश का कुछ हिस्सा सामने आया है। यह काफी हैरान करने वाला है। दस्तावेज बताते है कि रायपुर पुलिस ने दिनांक 22 मार्च 2021 को सुनील नामदेव के घर एवं आफिस में तलाशी के लिए कोर्ट में आवेदन किया था। इस पर कोर्ट ने सर्च वॉरेंट जारी किया। इसके तहत दिनांक 23 मार्च 2021 को सुनील नामदेव के घर एवं ऑफिस में पुलिस ने तलाशी ली। दिनांक 23 मार्च 2021 को पुलिस ने सुनील नामदेव के निवास एवं ऑफिस में कोर्ट के निर्देश पर सर्चिंग कर 5 कंप्यूटर और 1 लेपटॉप जप्त किया उसका ब्यौरा तो कोर्ट में दिया गया लेकिन 21 मार्च 2021 को जो चार कंप्यूटर और चार लेपटॉप जप्त किये गए उसका कोई हवाला चालान में प्रस्तुत नहीं किया गया है। रायपुर के तत्कालीन एसपी और मौजूदा आईजी की साजिश पर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने भी अपनी मोहर लगायी है। सब इंस्पेक्टर विपिन किशोर टोप्पो ने अपने पुलिस बयान में कोर्ट को सूचित किया है कि दिनांक 21 मार्च 2021 को एसएसपी रायपुर के निर्देश पर उन्होंने पत्रकार सुनील नामदेव के ऑफिस एवं घर मे सर्चिंग की थी। इस दौरान जप्त किये गए कंप्यूटर, लेपटॉप की वीडियोग्राफी कर उसकी सीडी उनके द्वारा थाना प्रभारी माना कैम्प को सौंपी गई है। इस दिन जप्त कंप्यूटर लैपटॉप की जप्ती का ब्यौरा कोर्ट को नहीं दिए जाने का मामला गंभीर तो है ही। लेकिन उन कम्प्यूटर, लेपटॉप में संरक्षित की गई सामग्री भी काफी गंभीर बताई जा रही है।

की प्रिया जारी है। एक खदान परसा ईस्ट केते बासेन शुरू हो चुकी है और इसके विस्तार के लिए केते एक्सटेंशन के नाम से नई खदान खोलने की तैयारी है। वहीं परसा, पतुरिया, गिधमुड़ी, मदनपुर साउथ में भी खदानों को खोलने की कवायद जारी है।

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हो रहे हमले हमें अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला रहे हैं। उस समय भी अंग्रेजी तानाशाह मीडिया पर पाबंदी लगाते थे। सीएम भूपेश बघेल भी आजकल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है।

सुनील नामदेव के मुताबिक दिनांक 21 मार्च 2021 को स्थानीय पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से न केवल उनकी गिरफ्तारी की बल्कि उनके कथित ऑफिस और घर की सर्चिंग की थी। उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2021 को बगैर वॉरेंट उनके घर और कथित ऑफिस में पुलिस के दाखिल होने पर जब उन्होंने आपत्ति की तो उन्हें एक इंस्पेक्टर ने रायपुर के तत्कालीन डीजे और वर्तमान विधि सचिव राम कुमार तिवारी द्वारा जारी सर्चिंग वॉरेंट दिखाया था। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए चालान में इस सर्चिंग वॉरेंट और जप्त सामग्री का हवाला नही दिए जाने पर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि मामले की अपने स्तर पर उन्होंने पड़ताल की। इस दौरान पता चला कि रायपुर डीजे कोर्ट ने दिनांक 21 मार्च 2021 को उनके निवास एवं ऑफिस की सर्चिंग के लिए कोई वॉरेंट जारी नही किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने साजिश कर उनके खिलाफ सभी फर्जी प्रकरण दर्ज किये हैं, लिहाजा मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करने को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुनील नामदेव के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज सभी फर्जी प्रकरणों की जाँच को लेकर राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग सयि हो गया है। आयोग ने रायपुर के एसएसपी से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, इसके लिए पुलिस को चार हफ्ते का वक्त दिया गया है। आयोग के लॉ डिविजन के असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन्द्रजीत कुमार ने पुलिस को भेजे पत्र में निर्देशित किया है कि सुनील नामदेव की ओर से प्राप्त शिकायतों को लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराया जाये। आयोग ने पुलिस हिरासत में सुनील नामदेव को पानी की जगह सेनेटाइजर पिलाये जाने की घटना को काफी गम्भीरता से लिया है। सुनील नामदेव ने कोर्ट को बताया कि कुछ स्टिंग आपरेशन और समाचारों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ओएसडी सौम्या चौरासिया, आईपीएस आनन्द छाबड़ा और उनकी पत्नी शालिनी रैना, रामकुमार तिवारी और सूर्यकान्त तिवारी समेत खुछ अन्य अफसर उनकी जान के दुश्मन बन गये हैं। मामले की गम्भीरता को देखते हुए कोर्ट ने फौरन घटना की जाँच के निर्देश दिए। पुलिस हिरासत में सेनेटाइजर पिलाये जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश देते हुए उस कार्यवाही से कोर्ट को भी अवगत कराने के लिए कहा था। लेकिन इस घटना के लगभग नौ महीने बाद भी पुलिस ने कोई जाँच नहीं की। आखिरकर मामले का संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने केस दर्ज कर लिया। सुनील नामदेव की ओर से एनएचआरसी से गुहार लगाई गई है कि उनके खिलाफ दर्ज किये गये सभी प्रकरणों की जाँच छत्तीसगढ़ कैडर से बाहर के वरिष्ठ अधिकारी से

इन परियोजनाओं में करीब एक हजार आठ सौ बासठ हैक्टेयर निजी और शासकीय भूमि सहित सात हजार सात सौ तीस हैक्टेयर वनभूमि का भी अधिग्रहण होना है। खदानों की स्वीकृति प्रक्रियाओं से ग्रामीण हैरान हैं और इसके विरोध में

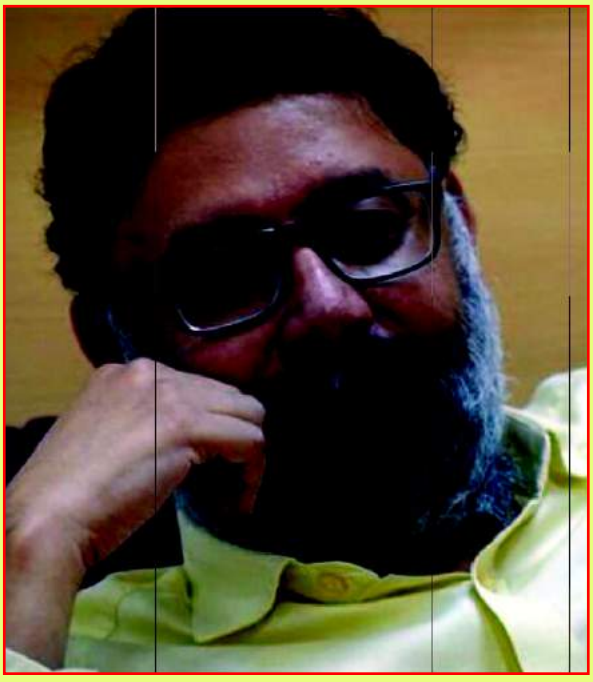

ये है रूचिर गर्ग, जो इस समय जनसंपर्क विभाग में मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी मर्जी के बगैर जनसंपर्क में पत्ता भी नहीं हिलता। यही सीएस को गलत जानकारियां देकर गुमराह करते हैं।

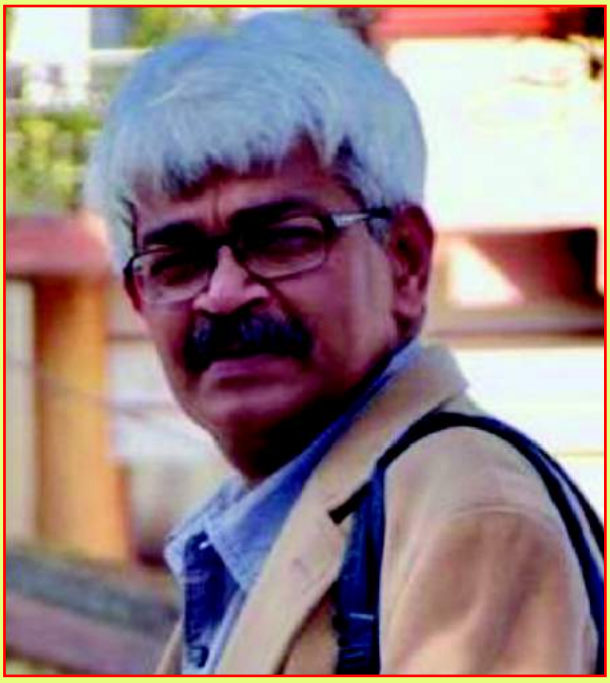

ये है विनोद वर्मा, जो सीएम के खास बने हुए हैं और प्रदेश के पत्रकारों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सीएम को पत्रकारों के खिलाफ करने में लगे है। राजेश मूणत की फर्जी अश्लील सीडी काण्ड में भी इनका नाम उछला था।

कराई जाये। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जाँच अधिकारी एसपी (आईपीएस) स्तर से नीचे का न हो। उधर एनएचआरसी की एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग से राज्य के पुलिस और प्रशासनिक मुख्यालय में खलबली मच गई है। इस तथ्य की चर्चा जोरों पर है कि सुनील नामदेव के कम्प्यूटर और लैपटाप में ऐसे कौन से स्टिंग आपरेशंस थे, जिसे हासिल करने के लिए आला पुलिस अधिकारियों ने कायदे कानूनों को ताक में रख दिया था। बताया जाता है कि यह महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि सुनील नामदेव की गिरफ्तारी हुई और पुलिस हिरासत में उन्हें सेनेटाइजर पिलाया गया बल्कि यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उनकी जान लेने के लिए आखिर क्यों मुख्यमंत्री और उनकी टोली जुट गयी? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का मकसद क्या था? ऐसा कौनसा स्टिंग आपरेशन था, जिसके चलते मुख्यमंत्री के करीबियों की नींद उड़ी हुई थी। पुलिस ने सुनील नामदेव को हिरासत में लेकर एक के बाद एक चार प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज किये थे। उनके निवास को तोड़ने के लिए एनआरडीए ने तीन नोटिस जारी किये। हालांकि हाईकोर्ट बिलासपुर में इस कार्यवाही को चुनौती दिये जाने पर उसने इन तीनों ही नोटिस को वापस ले लिया था। इतना ही नहीं पुलिस हिरासत में उनकी जान लेने का प्रयास भी हुआ। फिलहाल इस पूरे घटनाम की सीबीआई जाँच के लिए सुनील नामदेव द्वारा सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया है।

खुलकर सामने आ गए हैं। प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों आदिवासी व अन्य ग्रामीण लामबंद होते हुए विगत कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर बस्तर से पैदल यात्रा कर रायपुर पहुंचे

पत्रकार सुनील नामदेव प्रकरण में

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 09 महीने पूर्व सुनील नामदेव को पुलिस अभिरक्षा में सैनिटाइजर पिलाए जाने को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त नजर आ रहा है। इस प्रकरण पर अब भूपेश बघेल की अगुवाई वाली राज्य सरकार की लापरवाही के प्रकाश में आने के उपरांत अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस बाबत रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पत्र लिख कर जवाब मांगा है। मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे प्रकरण पर आयोग के विधि विभाग के सहायक पंजीयक इंद्रजीत कुमार ने रायपुर पुलिस को पत्र लिखकर 04 सप्ताह के भीतर इस पूरे प्रकरण पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। दरअसल इस पूरे प्रकरण पर पत्रकार सुनील नामदेव की पत्नी मनमीत कौर द्वारा आयोग को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। अपनी लिखित शिकायत में मनमीत कौर ने बताया है कि रायपुर पुलिस द्वारा उनके पति एवं पत्रकार सुनील नामदेव को जबरन सैनिटाइजर पिलाया गया, जिसके पश्चात उनकी स्थिति बिगड़ने पर उन्हें भीमराव अंबेडकर अस्पताल में ले जाया गया था। जहां चिकित्सकों द्वारा उनका एमएलसी भी कराया गया था, जिसमें उन्हें सैनिटाइजर पिलाने की पुष्टि की गई थी। मनमीत कौर ने अपने लिखित शिकायत में आगे लिखा है कि इस बाबत उन्होंने जिला न्यायाधीश के समक्ष भी बयान दिया था, जिसके उपरांत जिला न्यायाधीश द्वारा इस प्रकरण में पुलिस को त्वरित रूप से जांच कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। हालांकि 09 महीने बीत जाने के उपरांत भी पुलिस इस प्रकरण में कार्रवाई करने से बचती रही है। इस प्रकरण पर सुनवाई के दौरान पत्रकार सुनील नामदेव द्वारा न्यायालय में एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह सचिव पर उनकी जान

आदिवासियों के लिए राज्यपाल अनुसुइया उइके ने राजभवन के लॉन में चौपाल लगाई और करीब 300 आदिवासियों को बुलाकर उनकी समस्या सुनी थी। राज्यपाल ने आदिवासी क्षेत्रों में स्थित इलाकों की इस समस्या के लिए राज्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त

के पीछे पड़ने का संगीन आरोप भी लगाया था। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के स्टिंग करने एवं इससे संबंधित खबर प्रकाशित करने के उपरांत उन्हें डरा धमका कर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं आयोग को लिखे अपने पत्र में नामदेव की पत्नी मनमीत कौर ने कहा है कि उनके पति द्वारा सच्चाई के पक्ष में पत्रकारिता करने के कारण उन्हें और उनके बच्चों को सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके घर को तोड़ने के लिए अधिसूचना भी जारी की गई, इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। अब मनमीत कौर के पत्र पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को लिखे अपने पत्र में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा नामदेव को झूठे और बेबुनियाद प्रकरण में फंसाया गया है। आयोग ने कहा है कि यह कार्रवाई तक की गई जब नामदेव द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। ज्ञात हो कि पत्रकार सुनील नामदेव द्वारा भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर फरवरी महीने में स्टिंग ऑपरेशन कर इससे संबंधित तथ्यों को उजागर किया गया था, इसके उपरांत भूपेश बघेल की सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है।

Case No.- 728/33/14/2021
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
(LAW DIVISION)
MANAV ADHIKAR BHAWAN, BLOCK-C,
G.P.O. COMPLEX, INA, NEW DELHI- 110023
Fax No.: 011-24651332 Website: www.nhrc.nic.in
Date : 20/12/2021 To,
THE SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
Senior superintendent of police office, Civil Lines, Raipur, Chhattisgarh 492001 RAIPUR CHHATTISGARH 492001
Email- raipurpolice@gmail.com

Sub : Complaint/Intimation from

Subject: Action Taken Report Called for(ATR) -728/33/14/2021.
Sir/Madam,
The complaint/intimation dated 06/12/2021, was placed before the Commission on 20/12/2021. Upon perusing the same, the Commission directed as follows:
The complainant has alleged that her husband is a journalist and the Chhattisgarh police implicated her husband in a false and fabricated cases, when he exposed the corruptions in the various departments of State Governments. They arrested him in an illegal way for seven months and tortured him in the custody. During Police custody police personnel given her husband sanitizer in the pretext of water. He was hospitalized and the matter came to the knowledge of Jurisdictional Magistrate but till date no action has been taken against the erring police personnel. The Complainant said the due to Police pressure, she and her two small kids suffered inhuman, and mental torture. Even the Government authorities given him various notices to demolished their house.
Taking cognizance in the matter, the Commission considers it to be a violation of human rights of the nature illegal arrest and police atrocity.
Let a copy of complaint be transmitted to the SSP, Raipur, Chhattisgarh calling an Action Taken Report within four weeks.
Put up after four weeks.
2. Accordingly, I am forwarding herewith a copy of the complaint/intimation as an attachment for taking appropriate action in the matter as per the directions of the Commission. It is requested that an Action Taken Report be sent to the Commission within 4 weeks from the date of receipt of this letter.
3. Any communication by public authorities in this matter may please be sent to the Commission through the HRCNet Portal (https://hrcnet.nic.in) by using id and password already provided to the public authorities (click Authority Login), or through Speed Post/ at email-id cr.nhrc@nic.in. Any Audio/ Video CDs/ pen drives etc. and bulky reports may be sent through Speed Post/ per bearer.

Your's faithfully
Sd/-
Indrajeet Kumar
ASSISTANT REGISTRAR (LAW)

पत्रकार सुनील नामदेव को सैनिटाईजर पिलाने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भूपेश सरकार से जवाब तलब किया है।

सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था। राज्यपाल ने उन्हें भरोसा दिया था कि इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सुनील नामदेव ने सरकार के खिलाफ कई बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए

सुनील नामदेव के 30 साल के कैरियर में एक भी दाग नहीं

एक बड़े षडयंत्र का खुलासा होने के भय से पत्रकार सुनील नामदेव के रूख से कुछ आईपीएस आईएएस और एक महिला आईएफएस अफसरों की रातों की नींद उड़ गयी थी। ये सभी एक बड़े षडयंत्र को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे। इसके लिए कश्मीर से कुछ युवकों को रायपुर बुलाया गया था। इन कश्मीरी युवकों को एक आईपीएस अधिकारी ने कई बार बस्तर भी भेजा था। एक गोपनीय सूचना के बाद पत्रकार सुनील नामदेव इस रैकेट के पर्दाफास करने के लिए सबूत जुटाने में लग गये। पत्रकार सुनील नामदेव की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ फर्जी मामले लादने के पीछे का षड़यंत्र काफी गम्भीर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुनील नामदेव एक सनसनीखेज स्टिंग आपरेशन की कमान संभाले हुए थे। वे उस समय निशाने पर आ गये जब कुछ कश्मीरी लोगों को उनके स्टिंग आपरेशन का शक हुआ। इस दौरान उनकी शर्ट पर लगे कैमरे खींचे गये। संदिग्ध कश्मीरी व्यक्तियों ने ये कैमरे और स्टिंग आपरेशन की सूचना रायपुर में अपने आकाओं को दी। फिर क्या था। पोल खुल जाने के भय से साजिशकर्ताओं ने रातोंरात पत्रकार सुनील नामदेव की घेराबन्दी का प्लान बनाया। 23 मार्च 2021 की सुबह पुलिस टीम सुनील नामदेव के निवास और कथित ऑफिस में दाखिल हो गयी। उसने बगैर सर्च वारंट सर्च किया और चार कम्प्यूटर और चार लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया। इसका ब्यौरा न तो कोर्ट को दिया गया और न ही सम्बन्धित अपराध के चालान में पेश किया गया। सूत्र बताते हैं कि रायपुर में दवाते इस्लामी की महफिल एक नेता के निवास पर सजती थी। इस महफिल में कश्मीरी संदिग्ध भी हिस्सा लेते थे। जानकारी के मुताबिक ये कश्मीरी संदिग्ध जेहादी आतंकी थे, जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रायपुर में डेरा डाले हुए थे। सुनील नामदेव ने एक सूचना के बाद इन लोगों की ना केवल खबर लेना शुरू की बल्कि उसकी गम्भीरता को देखते हुए स्टिंग आपरेशन भी

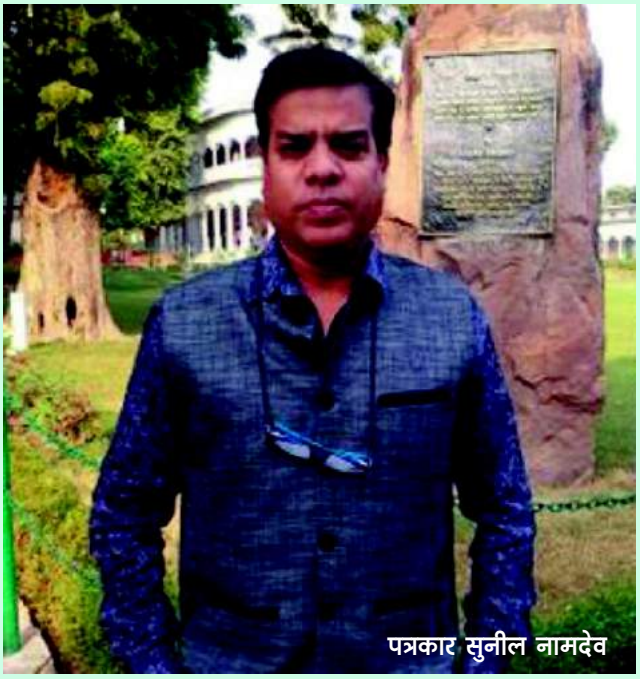
पत्रकार सुनील नामदेव

किया था। सूत्रों के मुताबिक इसी स्टिंग आपरेशन को हासिल करने के लिए सुनील नामदेव के खिलाफ तमाम फर्जी मामले लादे गये। इसका मकसद अधिक से अधिक दिनों तक उन्हें जेल में निरूद्ध रखना था। ताकि इस अवधि में सारे सबूत नष्ट किये जा सके। यही नहीं सुनील नामदेव की जान लेने के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में सैनेटाइजर भी पिलाया गया। आखिर क्यों वरिष्ठ पत्रकार की जान की दुश्मन कांग्रेस के नेतृत्व वाली बघेल सरकार बन गयी। इन स्टिंग ऑपरेशन के अलावा कुछ अन्य स्टिंग ऑपरेशन जिसमें कोयले के उत्खनन एवं परिवहन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सहयोगियों द्वारा 25 रूपये प्रति टन और सीमेन्ट फैक्टरियों से 15 रूपये प्रति बैग

विनोद वर्मा, सौम्या चौरसिया, रूचिर गर्ग और अनिल टुटेजा

चला रहे सरकार- छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश बघेल सरकार विवादित चार लोगों (पिलर) पर टिकी है। ये चार पिलर हैं पत्रकार विनोद वर्मा, सौम्या चौरसिया,

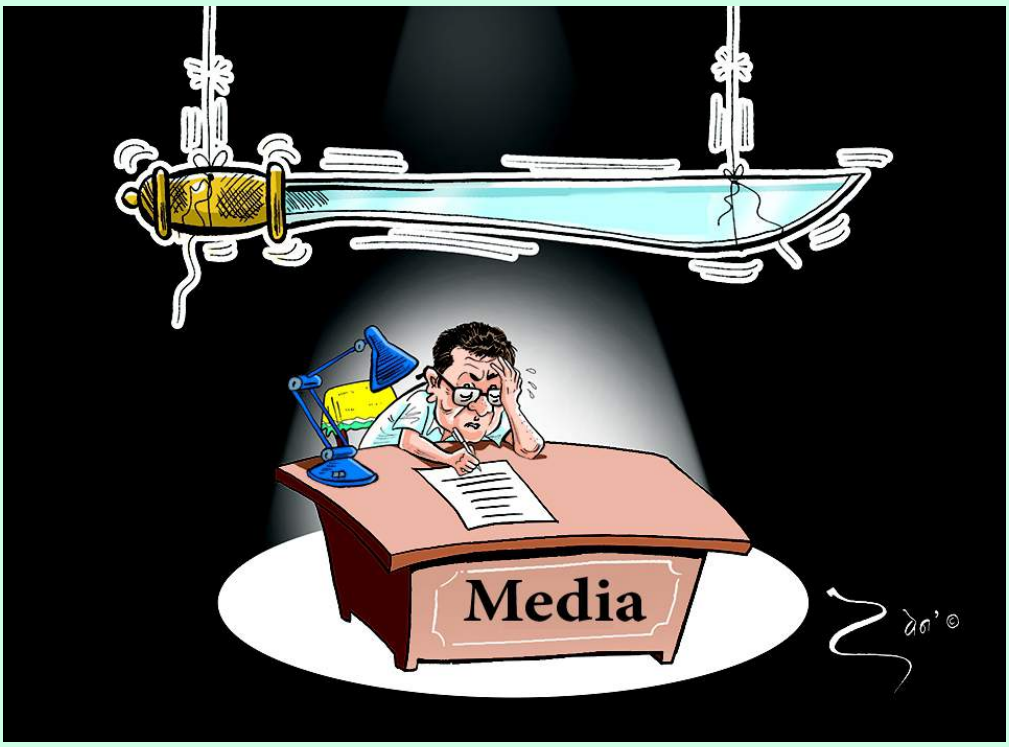

अवैध वसूली, खदानों के आवंटन एवं रेत उत्खनन और परिवहन से होने वाली अवैध उगाही, सरकारी शराब दुकानों से वैध एवं अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन, सेक्स सीडी कांड के मुख्य सरगना का बोबडे कनेक्शन, धान खरीदी और नागरिक आपूर्ति निगम से इकट्ठा होने वाली करोड़ों की अवैध रकम, आनन्द छाबड़ा द्वारा इनकम टैक्स, ईडी और सेन्ट्रल आईबी के अफसरों की अवैध फोन टेपिंग, निलम्बित एडीजी मुकेश गुप्ता को अवैध फोन टेपिंग से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के मामले, परिवहन एवं आवास पर्यावरण मंत्री मो. अकबर के विश्वासपात्र अफसरों द्वारा हाऊसिंग बोर्ड, वन विभाग, परिवहन विभाग एवं एनआरडीए में किये जा रहे भ्रष्टाचार और अवैध उगाही से सम्बन्धित मामले का स्टिंग आपरेशन एवं समाचार प्रकाशन उनके द्वारा किया गया था। प्रदेश से प्रतिमाह होने वाली लगभग 500 करोड़ की अवैध उगाही को दिल्ली, मुम्बई, पुणे, नागपुर, श्रीनगर, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजे जाने के भी साक्ष्य उनके द्वारा एकत्रित किये गये थे। आनन्द छाबड़ा द्वारा कश्मीरी संदिग्धों रायपुर बुलाये जाने के बाद तीन बार बस्तर भेजे जाने के प्रकरण और उनकी नक्सलियों से मुलाकात के प्रमाण भी इकट्ठा किये गये थे। चूँकि इस षड़यंत्र में शामिल सभी व्यक्ति प्रभावशील एवं उच्च पदों पर काबिज हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी पोल खुलने के डर से सुनील नामदेव को फर्जी मामलों में फंसाया। बताया जाता है कि इस मामले की निष्पक्ष जॉच और न्याय की उम्मीद राय सरकार से नही की जा सकती।

जानकारी के मुताबिक नामदेव की पुलिस हिरासत और जेल में निरूद्ध अवधि के दौरान यह गिरोह अपने अपराधों के साक्ष्यों एवं स्टिंग आपरेशन को नष्ट करने में जुटा रहा। हांलाकि इस घटना की जॉच के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी केस दर्ज कर (केस नं. 72833142021) एक्सन टेकन रिपोर्ट हेतु प्रतिवेदन भेजा गया है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए सुनील नामदेव की हत्या के प्रयास में शामिल अफसरों, षडयंत्र रचने वाले तत्वों, दिनांक 21 मार्च 2021 को बगैर सर्च वारंट उनके निवास एवं कथित ऑफिस में सर्च एवं लूट-पाट करने में शामिल अफसरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए।

पत्रकार रूचिर गर्ग और अनिल टुटेजा। इन चारों का अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और विवादों से गहरा नाता रहा है। विनोद वर्मा की बात करें तो इनका नाम प्रदेश के पूर्वमंत्री राजेश मूणत की फर्जी अश्लील सीडी कांड में सामने आया है। इनके

अभिव्यक्ति की आजादी पर बघेल की नकेल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों पूरी तरह हिटलर के स्वरूप में आ गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर तमाम बंदिशें लगाकर लगातार मीडिया पर प्रहार कर रहे हैं। सच्चाई प्रकाशित करने वाले या प्रसारित करने वाले पत्रकारों को कानूनी रूप से परेशान किया जा रहा है। झूठे केस दायर कर पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह रवैया बिल्कुल ठीक नहीं कि पत्रकारों के ऊपर इस तरह से गलत आरोप लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। जरा सोचिए जब यह निर्दयी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह से पेश आ रही है तो जनता की क्या मजाल कि वो इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए। लोकतंत्र में राज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के बाद मीडिया ही बचा है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं चला सकता। लेकिन भूपेश बघेल मीडिया को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्रकार उनके काली करतूतों को बिल्कुल न दिखाए और न ही छापे। बल्कि उनकी साफ और स्वच्छ छवि रोज अखबारों और चैनलों में प्रसारित करें। लेकिन यह कौन सा तरीका है जनाब? आप पत्रकारों को अपने हिसाब से चलाकर क्या साबित करना चाहते है? आज यदि आप एक सुनील नामदेव को गलत आरोप में अंदर करेंगे तो कल को न जाने कितने सुनील नामदेव पत्रकार बनकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। किस-किस को रोक सकेंगे आप? कितनों को जेल में रखेंगे आप? यह पहला वाक्या नहीं है जब बघेल सरकार ने पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। इससे पहले भी कमल शुक्ला सहित न जाने कितने पत्रकार बघेल की इस निर्दयिता का शिकार हुए हैं। यहां तक कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अंदर किए गए भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाने पर मेरे खिलाफ भी केस दायर किया है। बघेल की इस भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार में पत्रकारों की आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है। मीडिया की आजादी को दबाकर तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। जिस सराकर को भू-माफियाओं से प्रदेश को बचाना चाहिए वो सरकार इन्हीं माफियाओं की हितैषी बनी हुई हैं और मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है। लगातार पत्रकारों पर होते एक के बाद एक हमलों के बाद पत्रकारों में दहशत का माहौल है। अगर छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के विरुद्ध इसी तरह षडयंत्रपूर्वक अपराध दर्ज होते रहे तो कोई पत्रकार पत्रकारिता भी कर नहीं पायेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख नहीं पायेगा। पत्रकारों पर हुई कार्यवाहियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ के पत्रकार कमल शुक्ला के मामले को लेकर भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा किया था और हिदायत दी थी कि भविष्य में पत्रकारों के साथ अनैतिक कार्यवाहियां न की जाये। निश्चित तौर पर यह भी सच है कि यदि पत्रकारों को लेकर भूपेश बघेल का यही रवैया रहा तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

मीडिया की पहरेदारी में ओर कितना नीचा गिरेंगे भूपेश बघेल

संरक्षण में ही फर्जी सीडी कांड का घिनौना खेल खेला गया था। यह कांड काफी चर्चित हुआ था। दूसरा नाम आता है सौम्या चौरसिया का। सौम्या चौरसिया वह महिला अधिकारी हैं जिन्हें इस समय सुपर सीएम कहा जा रहा है। मतलब साफ है कि सीएम भूपेश बघेल इस महिला अफसर की सलाह के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। कई महत्वपूर्ण फैसलों में सौम्या चौरसिया का सीधा दखल होता है। वह चाहे प्रशासनिक हों या व्यक्तिगत हों। सीएम भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया के काफी करीबी रिश्ते हैं। तीसरा नाम आता है रूचिर गर्ग का। रूचिर गर्ग वहीं शख्स हैं जिन्हें कभी अपनी गलत हरकतों की वजह से नवभारत और नई दुनिया प्रेस से निकाला गया था। वर्तमान में यह सीएम के मीडिया सलाहकार बने हुए हैं और गलत सलत सलाह देकर सरकार की और सीएम की छबि धूमिल करने पर तुले हुए हैं। यह

प्रेस पर हमलों का इतिहास

पिछले कुछ सालों में भारत में 11 पत्रकारों की हत्या कर दी गयी, 46 पर हमले हुए और पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के 27 मामले सामने आये। इंडिया फ्रीडम रिपोर्ट के ये आंकड़े जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग के जोखिम को बताते हैं। पांच सितंबर, 2016 को गौरी लंकेश की हत्या ने सिर्फ बातें बनाने वालों को नींद से जगा दिया। लंकेश की हत्या के दो दिन बाद बिहार के अरवल जिले में दो बाइक सवार हमलावरों ने राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार पंकज मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले एक और एनजीओ कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट (सीपीजे) की साल 2016 की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, भारत में दंड-मुक्ति रैंकिंग (घटनाएं जिनमें पत्रकार की हत्या हुई और उसके हत्यारे पकड़ से बाहर रहे) में बीते एक दशक में सौ फीसदी का इजाफा हुआ है। वर्तमान में भारत की दंड-मुक्ति रैंकिंग 13वीं है। प्रेस की आजादी को खतरा इसकी शुरुआत से ही रहा है। सन् 1857 की क्रांति के साथ ही लॉर्ड केनिंग द्वारा बनाया गया गैगिंग एक्ट अस्तित्व में आया, जिसमें सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी करते हुए प्रिंटिंग प्रेसों और उनमें छपने वाली सामग्री को विनियमित किया गया था। इसके तहत किसी भी छपने वाली सामग्री की इस बात के लिए जांच की जा सकती थी कि यह ब्रिटिश राज की नीतियों के खिलाफ तो नहीं है। क्षेत्रीय भाषा के अखबारों ने जब 1876-77 के अकाल से निपटने में औपनिवेशिक सरकार की ढिलाई को लेकर खबरें प्रकाशित कीं, तो सरकार स्थानीय आलोचनाओं को कुचलने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ले आयी। इस कानून के तहत बंगाल के अमर बाजार पत्रिका समेत 35 क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों पर शिकंजा कसा गया। द बेंगाली अखबार के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, जो अपने उपनाम राष्ट्रगुरु के नाम से मशहूर थे, अपने अखबार में अदालत की अवमानना की टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि बाल गंगाधर तिलक भी दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ लिखने के लिए दो बार जेल गये। आज छोटे शहरों में जब-तब ऐसे हमले होते रहते हैं, जिनमें पीड़ित किसी क्षेत्रीय अखबार या चैनल में बतौर फ्री लांसर काम करने वाला शख्स होता है, जिसके जिम्मे स्टूडियो या कार्यालय में बैठने के बजाय ज्यादातर फील्ड का काम होता है। सीमित कानूनी संरक्षण के साथ प्रेस की आजादी का ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। ऐसी आजादी ऑनलाइन धमकियों और मुकदमों के सामने आसानी से कमजोर पड़ सकती है। प्रेस की आजादी के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की साल 2017 की रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत तीन पायदान नीचे खिसक कर 136वें स्थान पर आ गया है। हम अपने जुझारू मीडिया को दक्षिण एशिया में सबसे स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन फ्रीडम हाउस की नजर में यह हकीकत में आंशिक रूप से ही स्वतंत्र है।

बात भूपेश बघेल को समझ नहीं आ रही है। चौथा नाम आता है अनिल टुटेजा का। अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले के प्रमुख आरोपी रहे हैं। यह घोटाला 35 हजार करोड़ का था और अनिल टुटेजा की भूमिका संदिग्ध थी। वर्तमान में टुटेजा सीएम बघेल के चहेते अफसरों में शुमार हैं और महत्वपूर्ण विभाग का मुखिया बना दिया है। हम कह सकते हैं कि यहीं वह चार शख्स हैं जिनके इर्द-गिर्द प्रदेश की पूरी सत्ता मूव कर रही है। अचंभित करने वाली बात है सीएम भूपेश बघेल भी इनकी सलाहों एवं मशविरों पर आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं। जबकि सभी जानते हैं कि इन सबका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। यह बात भूपेश बघेल भी समझ रहे हैं लेकिन ऐसी कौनसी बात है जिसके कारण वह इन पर आश्रित होकर काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं हैं कि इनके कारण सीएम को नुकसान नहीं उठाना पड़ा हो। ऐसे कई मौके आए हैं जब कहीं न कहीं कुछ फैसलों के कारण सरकार की काफी किरकिरी हुई है। इनका अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और विवादों

लोकतंत्र की सफलता या विफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है।
-स्कॉट पेली

पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य छत्तीसगढ़

सुनील नामदेव

कमल शुक्ला

प्रभात सिंह

सुशील शर्मा

छत्तीसगढ़ पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। मीडिया विजिल पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य बनने के बाद से 200 से अधिक पत्रकारों को समाचार छापने दिखाने के चलते उत्पन्न हुए विवादों के बाद जेल में डाला गया। जबकि 2018 दिसम्बर से नई कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही महज 10 महीनों में 22 पत्रकारो पर फ़र्ज़ी पुलिस प्रकरण बनाये गए। वहीं 6 पत्रकारो को जेल भी भेजा गया व तीन पत्रकारों की थानों में निर्मम पिटाई हुई। इसी तरह पांच दूसरे पत्रकारों पर माफियाओं, आपराधिक तत्वों व राजनीतिज्ञों ने जानलेवा हमले किये। जबकि राज्य के निर्माण के बाद से अब तक करीब 6 पत्रकारो की निर्मम हत्या हो चुकी है। दुःखद तो यह रहा कि किसी भी हत्याकांड का खुलासा नही हुआ न ही कोई जिम्मेदार हत्यारा जेल भेजा गया।

अब तक मिले अपुष्ट आंकड़ों में कार्य के दबाव और पुलिस प्रशासनिक एवं राजनीतिक माफियाओं के भयादोहन की वजह से राज्य में 20 पत्रकारों ने जान देने की कोशिश की। जबकि 8 ने आत्महत्या कर ली। इनमें से दो युवा पत्रकारों ने तो एक ही दिन में 17 जून, 2018 को क्रमशः अम्बिकापुर और जगदलपुर में आत्महत्या कर ली थी। वर्ष 2018 रायगढ़ जिले के युवा पत्रकार सौरभ अग्रवाल सहित राज्य में चार अन्य पत्रकारों ने लगातार हो रही बेजा पुलिस प्रताड़नाओ से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिनमें से दो पत्रकार तो बेहद गंभीर हालात से बचाए गए।

से गहरा नाता रहा है।

36 हज़ार करोड़ के बहुचर्चित नान घोटाले के आरोपियों को बचाया भूपेश बघेल ने- छत्तीसगढ़ में 36 हजार करोड़ का कथित नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान घोटाला फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल ने नान घोटाले को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब भूपेश बघेल पर ही इस कथित घोटाले के मुख्य अभियुक्त आईएएस अफ़सरों अनिल टुटेजा (प्रमोटी आईएएस) और आलोक शुक्ला

दांगी अफसरों की फौज खड़ी करने में जुटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकाल में हुए राशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चल रही जाँच के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस घोटाले की जाँच के लिए भूपेश बघेल के आदेश पर बनाई गई स्पेशल टास्क फ़ोर्स के सदस्यों, मुख्यमंत्री और एक बड़े कानून के अधिकारी ने इस घोटाले में नाम आने वाले दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ कथित तौर पर मामले को पूरी तरह से

कमज़ोर किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरू से ही इस घोटाले के मुख्य आरोपियों को बचाने की जुगत करते रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है कि जिस घोटाले पर हल्ला बोलकर भूपेश बघेल सत्ता तक पहुंचे हैं या बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है वही भूपेश बघेल आज इस घोटाले के मुख्य आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता ने उम्मीद लगाई थी कि अब शायद भूपेश सरकार बहुचर्चित नान घोटाले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा

छत्तीसगढ़ में डायरी से एक बार फिर आया भूचाल

अफसर के नाम से 366 करोड़ के भ्रष्टाचार की शिकायत पहुंची

भूपेश बघेल

प्रेमसाय सिंह

बृहस्पत सिंह

रायपुर के शिक्षा विभाग में लेनदेन के रिकॉर्ड का दावा करने वाली एक कथित डायरी से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस कथित डायरी के पन्नों में लेन-देन की इबारतों के साथ शिक्षा विभाग के उप संचालक के नाम से मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंची है। पहले उप संचालक ने इसके खिलाफ थाने में शिकायत की। विपक्ष हमलावर हुआ तो खुद स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दरबार में पहुंच गए। मंत्री ने जांच की मांग की है। लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक आशुतोष चावरे के हस्ताक्षर वाला फर्जी शिकायती पत्र इस समय वायरल है। इसमें एक डायरी के पन्नों का हवाला देते हुए शिक्षकों के पदस्थापना में 366 करोड़ के लेनदेन की बात कही गई है। मामला सामने आने के बाद उप संचालक आशुतोष चावरे ने राखी थाने में

दिलवाएंगे लेकिन किसी ने उम्मीद ही नहीं की होगी वह खुद इस घोटाले के हिस्सेदार बन जाएंगे।

प्रदेश के किसानों से बेमानी कर रहे भूपेश बघेल- छत्तीसगढ़ में आदिवासी और किसानों का दमन अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ धान और गोबर के निकली स्कीम ने किसान को पहले ही आर्थिक तौर पर कमजोर किया। उसके बाद भूपेश बघेल ने किसानों पर

भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे भूपेश बघेल

गोली चलवा दी। दरअसल बस्तर के सिलगेर में सीआरपीएफ कैंप के विरोध में वहां के स्थानीय आदिवासी किसान कर रहे थे पर भूपेश बघेल ने वहां आदिवासी किसानों पर गोली चलवा दी, जिसमें 03 आदिवासी किसान मारे गए थे। सरकार की असंवेदनशीलता का आलम यह था कि उस समय सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया जो कि उस समय उन किसान-आदिवासियों को संवेदना देने जा रही थी। शासन ने उन्हें

अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है। उनका कहना है अज्ञात व्यक्तियों ने उनके नाम, पदनाम और सील का गलत उपयोग कर फर्जी शिकायत पत्र तैयार किया है। इसे जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न संस्थानों को भेजा जा रहा है। इस कथित शिकायती पत्र में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उनकी पत्नी और स्पष्ट पर सीधे आरोप लगाए गए हैं। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पत सिंह की अगुआई में कांग्रेस विधायक भी स्कूल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। बृहस्पत सिंह ने तो उस समय साफ शब्दों में कहा था, मंत्री के यहां लेनदेन की वजह से उनके विधायकों-कार्यकर्ताओं का ही काम नहीं हो रहा है। राखी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। टीआई कृष्णचंद्र सिदार ने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 419 तथा धारा 469 के तहत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में डायरी और सीडी का इस्तेमाल नया नहीं है। 2015 में नागरिक आपूर्ति निगम के अफसरों-कर्मचारियों के ठिकानों पर पड़े एसीबी-ईओडब्ल्यू छापों के बाद भी एक डायरी की मौजूदगी का पता चला था। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल बार-बार पूछते थे कि डायरी में दर्ज सीएम मैडम कौन हैं। डायरी के आधार पर कांग्रेस तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को घेरने में काफी हद तक कामयाब रही।

भाजपा बोली, अभी और ऐसी कई डायरियां सामने आएंगी- भाजपा विधायक दल के नेता धरमलाल कौशिक ने कहा, 366 करोड़ का लेन-देन तो सिर्फ एक अधिकारी के डायरी में है। ऐसी कई डायरियां अभी सामने आने वाली हैं। डायरी में सिलसिलेवार तरीके से एक-एक व्यक्ति से लेन-देन का विवरण बताता है कि कांग्रेस सरकार कितनी भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि आखिरकार कौन सी भाभीजी को और कौन से बड़े साहब को राशि दी गई है। भाभीजी को 25 करोड़ रुपए कई किश्तों में पहुंचाए गए हैं। बड़े साहब को भी कई करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस पूरे एपिसोड को भाजपा का षड्यंत्र बताया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में एक कथित डायरी सामने आई है, जिसमें हजारों शिक्षक, सहायक शिक्षकों व व्याख्याताओं के नाम हैं। डायरी में उनकी पदस्थापना का जिक्र किया गया है और उसके बदले कितने पैसे लिए गए यह बताया गया है। डायरी में 366 करोड़ के लेनदेन का ब्यौरा बताया जा रहा है। इसमें किसी भाभी जी से लेकर डीईओ, बीईओ सहित कई उच्च अफसरों के नाम है। लोक शिक्षण संचालनालय के डिप्टी डायरेक्टर के हस्ताक्षरयुक्त शिकायती पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले की जानकारी होने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय के डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष चावरे ने नवा रायपुर के राखी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह फर्जी है या सही इसकी जांच पुलिस कर रही है। इधर इस मामले को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

सिल्गर नही जाने दिया। इस पूरे सिल्गर गोली कांड में 03 आदिवासी किसान मारे गए और करीब 17 किसान घायल हुये थे।

कर्जमाफी पर भूपेश सरकार फेल- 2018 में जब राय में भूपेश सरकार ने शपथ ली थी तब वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन आज स्थिति क्या है। किसानों का कर्जा माफ नही हुआ है। ढाई हजार रुपये सर्मथन का वादा करने वाली सरकार ने

पूर्ववर्ती सरकार को घेरने वाली भूपेश सरकार अपने गिरेवांन में भी झांके

किसानों को आधा अधूरा पेमेंट किया। किसानों को बोनस भी नहीं दिया। तीन साल बीत गए। दो साल के बोनस का पता अब तक कोई अता-पता नहीं है। भूपेश सरकार की वादाखिलाफी और कुप्रबंधन के चलते 02 साल में 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जिसका कारण रकबे में कटौती, नकली पेस्टीसाइड अन्य हैं। सरकार हर मोर्चे पर फेल है, सहकारी बैंक को छोड़ किसका कर्जा माफ

भूपेश बघेल सरकार में भ्रष्टाचार के बदनुमें दाग

20 अफसरों पर 44 मामले दर्ज

बीस आईएएस और आईपीएस अफसर 2018 से जून 2021 तक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। इन पर 44 मामले दर्ज हैं। इनमें अधिकांश लोग अभी भी अपने पदों पर हैं। इस सूची में 02 पूर्व मुख्य सचिव और 2 एडीजी स्तर के अफसर हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है, जिसके अनुसार प्रदेश के 90 क्लास 01 और क्लास 02 अफसर- मुख्य सचिव से लेकर तहसीलदार तक और एडीजी से लेकर डीएसपी तक के लोगों पर एसीबी, लोकायुक्त और पुलिस स्टेशनों द्वारा भ्रष्टाचार, घोटाले और बलात्कार की जांचें चल रही हैं। लगभग सभी अफसर यहाँ तक कि बलात्कार के आरोपी भी पद पर बने हुए हैं। कुछ वरिष्ठ अफसरों पर सीबीआई की विशेष अदालतों में चार्जशीट फाइल हुई है लेकिन वे भी पद पर बने हुए हैं। जीएडी के नियमों के तहत चार्जशीट दर्ज होने पर अफसरों को कोर्ट से निर्दोष साबित होने तक निलंबित किया जाना है। सितम्बर 2021 में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, एसआईटी के सदस्यों और एक टॉप लॉ अफसर ने नान घोटाले के आरोपी 02 वरिष्ठ आईएएस अफसरों के खिलाफ मामले को कमजोर किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में सीबीआई को प्रदेश के 15 अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया।

प्रदेश का गोबर घोटाला- 2 बैलों ने 1800 किलो गोबर दिया

पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ऐसा है कि राज्य में 02 बैल एक दिन में 1800 किलो गोबर दे देते हैं। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूट का बाजार बना दिया है। इस सरकार में वादे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

क्या है 2 बैलों का 1800 किलो गोबर करने का मामला?- दरअसल मामला 26 नवंबर का है। कोटा जनपद पंचायत के खैरा ग्राम के दो बैल वाले एक किसान ने गोठान में एक हफ्ते में 12,800 रुपए का गोबर बेच दिया। भूपेश सरकार गौ पालकों से 1.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है। अगर इस हिसाब से अंदाजा लगाएं तो उस किसान के एक बैल ने रोजाना साढ़े 04 क्विंटल गोबर किया।

कांग्रेस का एटीएम बन गई है भूपेश बघेल सरकार: रमन सिंह- पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 30 प्रतिशत शराब अवैध बिक रही है, जिसका पैसा कहां जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार को कांग्रेस का एटीएम बता दिया। उन्होंने कहा पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर पैसा लेकर हो रहा है। वे पोस्टिंग के बाद वसूली कर रहे हैं।

किया। न्याय योजना से 450 करोड़ किसानों के काट लिए गए।

कर्ज में डूबा छत्तीसगढ़- बीजेपी ने 15 साल में 33 हजार करोड़ का कर्ज लिया था लेकिन भूपेश सरकार ने 30 महीने में 36 हजार 170 करोड़ का कर्जा ले लिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी-टू-ईट खाद्यान्न वितरण में हुए भ्रष्टाचार

पूर्व मुख्यनमंत्री रमन सिंह ने रमन सिंह ने महासमुंद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अधिकारी के द्वारा खोले गए मोर्चे पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में इस कदर डूबी हुई है कि अब उसके अधिकारी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और पीएल पुनिया क्या अब सरकार के भ्रष्टाचार खिलाफ न्याय दिलाएंगे? आमरण अनशन पर बैठे महिला बाल विकास अधिकारी को न्याय दिलाएंगे? पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर महिला बाल विकास विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी-टू-ईट खाद्यान्न वितरण में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में जांच कराने की मांग की है। साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की।

नरवा गरवा घुरवा बाड़ी: भूपेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट NGGB यानि नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योनजा में 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ गोठान बनाने के नाम पर सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही कहा कि नरवा बाड़ी योजना से एक एकड़ का भी सिचांई का रकबा बढ़ नहीं सका है। गायों के लिए ऐसी योजना बनी हैं कि सभी गाय सड़कों पर आ गई हैं। जो गोठान बना है वह घास-फूंस और बांस-बल्ली का बना है, वहां पीने के लिए पानी नहीं है। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत के पैसे से निर्माण कराया गया लेकिन भुगतान आज तक नहीं हो सका है। वहीं घुरवा योजना के तहत जो कम्पोजिट खाद बनाया गया है उसे खरीदने के लिए किसानों पर दवाब डाला जा रहा है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही इतने झोल हैं कि सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है।

है। अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले दो साल में 1 लाख 30 हजार करोड़ का कर्जा लेगी।

कानून व्यवस्था चौपट-छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई साल में 7 बलात्कार, 1281 हत्या के प्रयास, 4900 बलात्कार हुए हैं।

भूपेश सरकार पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने टेंडर प्रक्रिया पर बोला हमला

पूर्व पीडब्लूडी मंत्री राजेश मूणत ने ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों से हुए लोकार्पण विकास कार्यो में विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्होंने मामले को समझाते हुए बताया कि जिस ग्लोब चौक का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 24 नवंबर 2020 को किया गया, उस लोकर्पित कार्य की निविदा लोक निर्माण विभाग द्वारा 17 नवंबर 2020 को ऑनलाईन सिस्टम टेंडर द्वारा निकाली गई। लोकर्पण के 13 दिन बाद 7 दिसम्बर 2020 को निविदा डाली जानी है, यह आश्चर्यजनक है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी ऑनलाईन सिस्टम टेंडर के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पित नवनिर्मित ग्लोब चौक के निर्माण हेतु 10 दिसम्बर 2020 को लोकर्पण के 15 दिन बाद टेंडर खुलने की तारीख तय की गई थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पित हो चुके कार्य के निर्माण के लिए लोकार्पण के पश्चात निविदा आंमत्रित करना और उसे खोलने सहित अन्य प्रक्रियाओं का किया जाना बड़े भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और कांग्रेस सरकार में टेंडर की बंदरबाट को उजाकर करता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को उजाकर करने वाला यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखे जाने के बाद दबाव के चलते प्रदेश सरकार को टेंडर रद्द करना पड़ा था। मूणत ने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पित कार्य की टेंडर प्रक्रिया लोकार्पण के बाद हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किस कार्य का लोकार्पण किया है? क्या उनके राज में लोकार्पण के बाद ही टेंडर प्रक्रियाएं होती है? लोक निर्माण विभाग के अनुसार जो कार्य अभी टेंडर प्रक्रिया में है उसका लोकर्पण मुख्यमंत्री ने कैसे कर दिया? प्रदेश में कांग्रेस के राज में खुलेआम भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और ठेकों की बंदरबाट प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण में चल रही है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है।

बेरोजगारों की समस्या-नौजवान सुसाइड करने को मजबूर हैं। भूपेश सरकार ने पीएससी की गरिमा गिरा दी है।

छत्तीसगढ़ में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का माफिया राज कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे अफसर

पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई भूपेश बघेल की सरकार पहले दिन से ही अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की आम जनता राज्य में फैले भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट से तो परेशान थी ही, अब राज्य में एक नई समस्या ने आमद दे दी है। राज्य की जनता के बीच फैले इस असंतोष के भाव को राज्य के मुखिया भूपेश बघेल भी अब तक नहीं परख पाए हैं। दरअसल पूरा राज्य छत्तीसगढ़ में पदस्थ आईपीएस और आईएएस अफसरों की रौबदारी से परेशान है। जिन अफसरों को जनता की सेवा और उन्हें हर तरह की समस्याओं के निजात दिलाने के लिए पदस्थ किया गया है वहीं अफसर अब जनता के लिए कांटे बनते जा रहे हैं। पूरे राय के अंदर कोई भी आमजन खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन जनता के वोटों से जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज भूपेश बघेल को इस बात की कोई चिंता ही नहीं। आलम यह है कि अफसर खुद मिलकर भूपेश बघेल की सरकार को चलाने में मुख्य

सौम्या चौरसिया के घर पर पड़े छापे में मिले थे 150 करोड़ रूपये

ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया। ये छत्तीसगढ़ सेवा 2008 बैच की पीसीएस अफसर है। जब इनकम टैक्स विभाग ने इनके घर छापा मारा तो अधिकारी नकद रूपया रेख कर चकरा गये 150 करोड़ नगद रूपया नकद बरामद हुआ। 25 किलो से अधिक का सेना अनगिनत प्रापर्टी के कागज मिले थे। छापेमार कार्यवाही ने अफसरों और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच के संबंधों को खोलकर रख दिया। पांच दिन तक चली छापेमार कार्यवाही में 150 करोड़ रुपए के लेनदेन के मामले सामने आए हैं। यही नहीं रायपुर में व्यक्तियों, हवाला डीलरों और व्यापारियों के एक समूह पर खोज पर की गई कार्य़वाही में भी विश्वसनीय इनपुट्स, खुफिया और शराब और खनन व्यवसाय से बड़ी बेहिसाब नकदी के सृजन के साक्ष्य मिले थे। हाईकोर्ट द्वारा लीगल डेलीगेशन के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उप सचिव सौम्या चौरसिया एवं अन्य से 30 हजार हर्जाने के वसूली का आदेश किया था।

आयकर छापा - छत्तीसगढ़ में तीसरे दिन भी कार्रवाई

सीएम की उपसचिव का बंगला सील, अब तक 100 करोड़ रु. नकद मिले

30 घंटे से अंडरग्राउंड है उप सचिव, आयकर विभाग के 3 और जगह छापे

मुख्यमंत्री बघेल दिल्ली रवाना, प्लेन बिगड़ा तो जयपुर में उतरे, गहलोत मिले

भूमिका निभा रहे हैं।

यहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले आईपीएस और आईएएस अधिकारियों ने अखिल भारतीय सेवाओं के लिए तय सभी मापदंडों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। ये अफसर बेख़ौफ़ होकर सत्ताधारी दल के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे हैं। राज्य गठन के 21 साल के दौर में कभी ऐसे नजारे देखने को नही मिले जब आईपीएस और आईएएस अधिकारियों ने किसी सत्ताधारी दल के नेता के लिए चाटुकारिता का इतना बड़ा स्तर तय किया हो। राय में पहली बार गैर कानूनी कार्यो को नकारने वाले सीनियर अधिकारी अलग-अलग पड़ गए हैं, वे अपनी नौकरी बचाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। जबकि सत्ताधारी दल के नेताओं की हां में हाँ मिलाने वाले जूनियर अधिकारियों की पौ बाहर है। छत्तीसगढ़ देश का एक मात्र ऐसा राय है, जहां सीनियर अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग जूनियर तय करते हैं। इनके एक इशारे पर सीनियर असफर की कुर्सी रातों-रात बदल जाती है। अर्थात जूनियर अफसरों के निर्देशों की ना फरमानी की सजा सीनियर अफसरों को अपने पद और प्रतिष्ठा से हाथ धोने के रूप चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ी तो जूनियर अफसर उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने में भी पीछे नही रहते। ऐसे अफसरों को सत्ताधारी दल से मिल रही तरजीह के चलते ये अफसर सरकार के कमाऊ पुत के रूप में सुर्खियां बटोर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय

जीपी सिंह की गिरफ्तारी, कटघरे में भूपेश सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह पर लगाई राष्ट्रद्रोह की धाराओं पर लगाई थी फटकार

छत्तीसगढ़ के निलंबित आइपीएस जीपी सिंह को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह सहित कई अन्य मामलों में अपराध दर्ज कर जांच कर रही है। जिसमें एक जुलाई 2021 को जीपी के घर एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने छापा मारा था। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को राष्ट्रद्रोह लगाये जाने पर फटकार भी लगाई थी। उन्होंने यहां तक कहा था ऐसे सरकार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जो इस धारा का दुरूपयोग कर रहा है। रायपुर में एसीबी और ईओडब्ल्यू के हिरासत में भेजे गए वरिष्ठ आईपीएस अफसर जीपी सिंह की जान खतरे में है। हिरासत के दौरान उन्हें स्वास्थगत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जीपी सिंह का ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा हुआ था। इसके बाद अचानक से उनके सीने में दर्द और पसीना आना भी शुरु हो गया। उन्होंने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू के बड़े अफसरों से की। अफसरों ने एक चिकित्सक से उनकी जांच भी कराई लेकिन इस इलाज से अफसर को राहत नहीं मिली। एसीबी के बुलावे पर उनकी सहायता के लिए उनके बड़े भाई

के चुनाव हो या अन्य राजनैतिक कार्यम या फिर देश किसी भी हिस्से में होने वाले विधानसभा चुनाव, इसके लिए फंड इकट्ठा करने की जबावदारी इन्हीं जूनियर अधिकारियों के कंधों पर लाद दी गयी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तरप्रदेश समेत अन्य

पुलिस की अनुमति से जीपी सिंह से मिलने पहुँचे थे। जतिन्दर सिंह के मुताबिक उनके भाई की स्थिति ठीक नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस हिरासत में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से जीपी सिंह की जान खतरे में है। परिजनों का यह भी कहना है कि अदालत ने ईओडब्ल्यू प्रमुख और जांच अधिकारी मंगेश देशपांडे को निर्देशित किया था है कि हिरासत के दौरान जीपी सिंह के स्वास्थ का विशेष ध्यान रखा जाए। समय समय पर उनका मेडिकल चेकअप कराया जाये, लेकिन एसीबी द्वारा उन्हें पर्याप्त स्वास्थ सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

जीपी सिंह बने भूपेश सरकार के शिकार- छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस अफसर जीपी सिंह प्रदेश की भूपेश सरकार के गुस्से के शिकार हो गए हैं। सरकार ने जीपी सिंह के दर्जनों ठिकानों पर एसीबी एवं ईओडब्ल्यू से छापा डलवाकर अनगिनत मामले दर्ज करवा दिए हैं। यह प्रदेश में पहला अवसर है जब किसी अधिकारी पर देशद्रोह जैसे आरोप लगाकर धाराएं लगाई गईं थी। इससे पहले भी प्रदेश में कई उच्च अधिकारियों के यहां छापेमारी हुई है। लेकिन देशद्रोह जैसी धाराएं किसी पर नही लगाई गई। निश्चित तौर पर यह भूपेश सरकार की सोची समझी साजिश के तहत की गई कार्यवाही लग रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मनमुताबिक काम न करने के कारण सिंह पर यह कार्यवाही की गई है।

आधा दर्जन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के फंड को इकट्ठा करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की सेवाएं सुर्खियों में हैं। प्रदेश में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की मौजूदा कार्यप्रणाली को देखकर जहां मुख्य विपक्षी

गौरतलब है कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ पर शासन करने वाली भाजपा की रमन सिंह सरकार हो या फिर 2018 में बनने वाली कांग्रेस की बघेल सरकार। 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह दोनों सरकारों में चहेते अफसर के रूप में जाने जाते रहे। सिंह को भाजपा सरकार ने राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, नक्सलवाद प्रभावित बस्तर जैसे बड़े जिलों में एसपी, डीआईजी और आईजी जैसे महत्वपूर्ण पदों से नवाजा तो वर्तमान भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता संभालने के बाद छत्तीसगढ़ में साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जीपी सिंह को एसीबी और इओडब्ल्यू का प्रमुख बनाया गया था। तब ये माना जा रहा था कि वे सरकार के करीबी हैं, लेकिन इस बीच लगातार शिकायतों का हवाला एवं एक महिला अधिकारी से नहीं जमने के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया था। सिंह के एसीबी प्रमुख रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के खिलाफ एफआईआर तो हुई लेकिन इससे आगे सरकार कुछ नही कर पाई। इसके बाद राज्य सरकार ने सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसीबी से हटाकर उनका स्थानांतरण राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में कर दिया। राज्य के प्रशासनिक महकमे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके एक मंत्री और कुछ अधिकारियों द्वारा सिंह के खिलाफ शिकायत करने पर उन्हें एसीबी से हटाया था। छापे में पाए गए दस्तावेजों के आधार पर सिंह के खिलाफ रायपुर पुलिस ने 3 जुलाई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद सरकार ने 8 जुलाई को देर रात सिंह के विरुद्ध देशद्रोह का भी मुकदमा दायर कर दिया। अपने ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्लू की कार्यवाही से लेकर निलंबन तक चुप रहने के बाद जीपी सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार पर दबाव में कार्यवाही कराने का गंभीर आरोप लगाये थे। रिट याचिका में उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो और रायपुर थाना सिटी कोतवाली में जो अपराध दर्ज किए गया हैं। उसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई से कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्हें सरकार के कुछ अधिकारियों ने ट्रैप कराया है। सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि जिन कागजों और डायरी के आधार पर उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है वह सालों पुराने हैं और कचरों और नाली में फेंके हुए थे। याचिका में कहा गया है कि जिस डायरी और कागजों के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। वह सालों पुरानी है। कचरे, नाली में फेंकी हुई थी और उसे बंगले में छापा मारने वाले खुद ढूंढकर लाए थे। जब इन फटे-पुराने कागजों की जब्ती की जा रही थी, उस समय जीपी सिंह को नहीं बुलाया गया। जबकि, वो बंगले में मौजूद थे। एक डायरी जिसे पुलिस सबूत बता रही है, उसके पन्नें भीगे हुए थे और पुलिस ने उसे सूखाने के बाद उसमें जो अस्पष्ट शब्द लिखे थे और उसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। याचिका में एडीजी जीपी सिंह ने यह भी कहा था कि छापा मारने वाले ये कागजात खुद ढूंढकर लाए थे और जब्ती उनके सामने नही की गई थी।

अब सवाल उठता है कि आखिरकार प्रदेश के इतने बड़े अफसर पर इतनी बड़ी कार्यवाही क्यों हुई। आखिर उच्च अधिकारी के साथ ऐसी कार्यवाही होती है तो कहीं न कहीं इससे प्रदेश की छवि भी धूमिल होती है। जीपी सिंह ईओडब्ल्यू के चीफ थे। उन्हें सीएम की पसंद से ही ईओडब्ल्यू का चीफ बनाया गया था। यह पद सीएम के पंसद का होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सीएम ने सिंह को इस पद से हटा दिया। आशंका ऐसी भी जताई जा रही है कि सीएम भूपेश बघेल ईओडब्ल्यू के माध्यम से नान मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और उनकी पत्नि को फंसाने का दबाव बनाया था। साथ ही कई अधिकारियों पर कार्यवाईयां करवाना चाहते थे लेकिन जीपी सिंह ऐसा नहीं करना चाहते थे और उन्हें इस पद से हटा दिया। साथ ही कई मामलों को रफा-दफा करवाना चाहते थे पर सिंह ने ऐसा नहीं किया।

दल बीजेपी उंगलियां उठा रही है। वही सत्ताधारी कांग्रेस ऐसे अफसरों की हौसला अफजाई के लिए कोई कसर बाकी नही छोड़ रही है। राज्य में सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों को नगरीय निकाय चुनाव में जिताने की जबावदारी इन अफसरों के

कल्लूरी को बनाया बलि का बकरा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तक कई कई बार उन्होंने आईपीएस ऑफिसर एसआरपी कल्लूरी को आड़े हाथों लिया। भूपेश बघेल ने कल्लूरी को जेल भेजने तक की मांग कर दी थी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने आईपीएस अधिकारी शिवराम प्रसाद कल्लूरी को एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग की जिम्मेदारी सौंपी थी। कांग्रेस ने जिस अफसर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उसी अफसर को करप्शन हटाने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन ACB और EOW जैसे विभागों की जिम्मेदारी देकर सबकों हैरान करने वाला फैसला लिया था। बता दें कि बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटला मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन कर दिया गया। एसआरपी कल्लूरी को नान घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी का प्रभारी भी बनाया गया था। EOW जैसे विभागों की जिम्मेदारी देने के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा थी कि वह मुकेश गुप्ता जैसे अधिकारियों की गिरफतार करें, जिनसे उनकी (सीएम भूपेश बघेल) की नहीं बन रही थी। कल्लूरी ने मुकेश गुप्ता और रजनीश के खिलाफ एफआईआर भी की थी। बाद में इन दोनों की गिरफ्तारी करने के लिए दबाव बनाया गया तो कल्लूरी ने मना कर दिया था। हालांकि कल्लूरी मुख्यमंत्री के गैर कानूनी आदेशों की अवहेलना करते थे। यहीं कारण रहा कि कुछ समय बाद ही कल्लूरी को उस पद से हटा दिया गया।

कंधों में डाल दिये जाने से नागरिक हैरत में हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सांसद सरोज पांडेय समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की इन आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर बुलंद की गयी आवाज नक्कारखाने में तूती आवाज की तरह दबकर रह गयी है। गंभीर तथ्य यह है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बुक के नियमों और वर्क रूल के ठीक विपरीत कार्य करने से प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सत्ताधारी दल के राजनैतिक लाभ के लिए अफसरों द्वारा मानव अधिकारों के हनन और नागरिकों पर फर्जी मुकदमे लादने से आम नागरिकों का जीना हराम हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार से दागी अफसरों की वापसी की माँग ने जोर पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ कैडर के जूनियर आईपीएस अधिकारियों की कारगुजारियों से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी रूबरू होना बेहद जरूरी है।

मामला राज्य के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी का है। 1986 के बैच के इस आईपीएस अफसर का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रातोंरात ट्रांसफर कर दिया था। उनके स्थान पर 1989 बैच के अशोक जुनेजा को प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया था। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जूनियर आईपीएस अधिकारियों की नाफरमानी अवस्थी को इतनी भारी पड़ी कि उन्हें इन दिनों रोजाना अपमानित होना पड़ रहा है। आखिरकर हालात से मजबूर पूर्व

क्यों कम नहीं हो रही नक्सली वारदातें

2018 में देशभर में 833 नक्सली घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2019 में घटकर 670 और 2020 में घटकर 665 हो गई। परन्तु छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 से 2020 तक 970 नक्सली घटनाएं हुई थीं। इनमें सुरक्षाबलों के 113 जवान शहीद हुए थे। 2019 में छत्तीसगढ़ में 263 नक्सली घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2020 में करीब 20त्न बढ़कर 315 हो गईं। जबकि 2019 में नक्सली हमलों में छत्तीसगढ़ में 22 जवान शहीद हुए थे और 2020 में 36 जवानों की जान गई। अब 2021 में एक साथ चौबीस जवानों की शहादत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 से लेकर 2020 तक तीन सालों में 970 नक्सली घटनाएं हुई थीं, जिनमें सुरक्षाबलों के 137 जवान शहीद हुए। वहीं, 2019 में छत्तीसगढ़ में 263 नक्सली घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2020 में करीब 20त्न बढ़कर 315 हो गईं। 03 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की बार्डर पर बहुत बड़ी नक्सली वारदात हुई। इस नक्सली वारदात में करीब दो दर्जन सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और कई जवान घायल हुए। इस नक्सली हमले के बाद एक बार फिर नक्सलवाद को लेकर विचार मंथन प्रारंभ हुआ। नक्सल प्रभावित राय जहां मुख्यमंत्री को डीजीपी से रोज़ ब्रिफिंग लेनी चाहिए पर मुख्यमंत्री पुलिस मुखिया से मिलना तक जरूरी नहीं समझते, उनके कनिष्ठ स्टाफ ही पुलिस मुखिया से बातें कर लेते हैं। आखिर में सवाल यही आकर रूकता है कि नक्सलवाद की मूल जड़ तक सरकार क्यों नही जाना चाहती हैं। ऐसा भी नही है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म नही होगा। प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करने में प्रमुख रोल राय सरकार का होगा। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा भू-भाग आज भी नक्सल समस्या से ग्रस्त है। नक्सली क्षेत्र के आदिवासी आज भी अपने आप को उपेक्षित और मुख्यधारा से कटा मानते हैं। सबसे पहले तो सरकारों को इस वर्ग का भरोसा जीतना होगा कि वह भी विकास की मुख्यधारा के हिस्सा हैं। ऐसा भी नही है कि प्रदेश में नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रशासनिक तंत्र मौजूद नही है या केन्द्र सरकार से मदद नही मिल रही है। प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से राय सरकार को मजबूती प्रदान की जा रही है। भूपेश बघेल सरकार के पास आज भी ऐसे काबिल अफसर हैं जिन्हें नक्सलवाद से निपटने का अच्छा खासा तजुर्बा है। लेकिन वर्तमान भूपेश सरकार नक्सलवाद को खत्म ही नहीं करना चाहती है।

डीजीपी ने केंद्र में प्रति नियुक्ति पर जाने के लिए अपना मन बना लिया है। दरअसल डीजीपी के पद से हटाते हुए राज्य सरकार ने डीएम अवस्थी को पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी का डायरेक्टर बना दिया था। नतीजतन अवस्थी को अब अपने जूनियर 1989 बैच के मौजूदा डीजीपी अशोक जुनेजा के अधीनस्थ कार्य करना पड़ रहा है। मामला यही नही थमा है। उन्हें अपने से और जूनियर अधिकारी को भी रिपोर्ट करना होता है। दरअसल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में डायरेक्टर के पद पर अभी तक विभागीय

पदोन्नति वाले प्रमोटी आईपीएस अधिकारी या एसपी स्तर के अफसरों की तैनाती होती रही है। पहली बार इस पद पर डीजीपी स्तर के अफसर की तैनाती हुई है। यही हाल प्रदेश के डीजी इंटेलिजेंस के पद का है। इस पद पर जूनियर आईजी की नियुक्ति की गयी है। 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी आनन्द छाबड़ा कांग्रेस के सत्ता में आते ही आईजी रायपुर रेंज और आईजी इंटेलिजेंस की दोहरी जबावदारी संभाल रहे हैं।

क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कराई संत कालीचरण की गिरफ्तारी?

छत्तीसगढ़ में इन दिनों पत्रकारों से लेकर साधू-संतों की गिरफ्तारी से मामला गरमाया हुआ है। ताजा मामला संत कालीचरण की मध्यप्रदेश के खजुराहो से हुई गिरफ्तारी से जुड़ा है। उनकी गिरफ्तारी के तौर तरीकों को लेकर दोनों ही राज्यों की पुलिस आमने सामने है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता महात्मा गाँधी को लेकर अपना अपना रॉग अलाप रहे हैं। इस बीच बापू-बापू में बरते गये फर्क का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। राजनैतिक पण्डितों की दलील है कि लखनऊ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नन्दकुमार बघेल के भगवान राम और ब्राह्मणों पर दिये गये बयानों से कांग्रेस की होने वाली फजीहत की तर्ज पर कालीचरण और धर्म संसद का मामला भी पार्टी के लिए गले की फॉस बन गया है। मौके की नजाकत को देखते हुए कालीचरण की गिरफ्तारी

बताया जाता है कि इस पद को हथियाने के लिए साजिश रची गयी थी। जानकारी के मुताबिक 1988 बैच के तत्कालीन डीजी इंटेलिजेंस संजय पिल्ले की कुर्सी हथियाने के लिए साजिश रची गई थी। इस मामले में आनंद छाबड़ा की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।

जानकारी के मुताबिक 1988 बैच के पूर्व डीजी मुकेश गुप्ता की गैर कानूनी रूप

मुख्यमंत्री बघेल की कुर्सी के लिए वरदान साबित होगी या फिर अभिशाप यह तो वक्त ही बतायेगा। रायपुर में हुई धर्म संसद में इस संत ने जब मुँह खोला तो काग्रेसियों के होश उड़ गये। दरअसल इस धर्म संसद का आयोजन काग्रेंस से जुड़े लोगों के द्वारा ही किया गया था। बताया जाता है कि धर्म संसद में कालीचरण ने महात्मा गाँधी के बारे में अर्नगल टिप्पणी कर दी थी। उनका बयान जब लोगों के बीच आया तो हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री बघेल समेत काग्रेंस पार्टी इस आयोजन को लेकर घिरती चली गयी। ऐसे वक्त मोर्चा संभाला प्रदेश काग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने, उन्होंने फौरन कालीचरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया लेकिन एफआईआर में धर्म संसद के आयोजकों का जिक्र तक नहीं किया। सम्भावित खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री बघेल ब्रिगेड भी मामले को लेकर सक्रिय हो गयी। रायपुर रेन्ज के आईजी आनन्द छाबड़ा ने मोर्चा संभाला और इस संत की गिरफ्तारी का बीड़ा उठाया। उनके निर्देश पर रातों-रात छत्तीसगढ़ पुलिस मध्यप्रदेश के खजुराहो में दाखिल हो गयी। उसने प्रोटोकाल को दरकिनार कर कालीचरण को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कालीचरण के गिरफ्त में होने की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारियों और सरकार ने ऐसी खुशी जाहिर की जैसे ओसामा बिन लादेन को उन्होंने धर दबोचा हो। फिलहाल कालीचरण की गिरफ्तारी और उन पर दर्ज मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि वो बताये कालीचरण के वक्तव्य का वो समर्थन कर रहे हैं क्या? इस वार-पलटवार के बीच इस तथ्य की भी चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री बघेल ने कांग्रेस आलाकमान के सामने अपने अंक बढ़ाने के लिए इस घटना को अन्जाम दिया है। उन्होंने एक साधारण घटना को राजनैतिक रूप देकर तिल का ताड़ बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जबकि मामला बेहद सामान्य था। दरअसल यू-ट्यूब में

महात्मा गाँधी को लेकर कई तर्क-कु-तर्क ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ मौजूद हैं। राजनीति में महात्मा गाँधी को लेकर तर्क वितर्क कोई नई बात नही है। कालीचरण से ज्यादा आपत्तिजनक बयान इसके पहले भी कई नेता जाहिर कर चुके हैं। बीएसपी नेता मायावती हो या अल्पसंख्यक समुदाय के नेता अरसफ मदनी, इनके आपत्तिजनक बयानों को लेकर किसी भी राज्य की कांग्रेस सरकार ने चू तक नहीं किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में अपने ही आयोजन में कांग्रेस ने कालीचरण की नाटकीय गिरफ्तारी कर नये विवाद को जन्म दे दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेसी खुद एक दिवसीय मौन धरने पर बैठ गये जबकि धर्म संसद का आयोजन खुद कांग्रेस के लोगों ने किया था। आयोजकों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करते हुए कालीचरण को निशाने पर लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने साधू संतों के खिलाफ भी मोर्चा खोल

से की जा रही फ़ोन टेपिंग के दस्तावेज सुनियोजित रूप से उन्हें उपलब्ध करा दिए गए थे। लीक हुए इन दस्तावेजों का इस्तेमाल मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिकाओं में किया था। सूत्रों के मुताबिक ये दस्तावेज रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा के कार्यालय से मुकेश गुप्ता को उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि इतने गंभीर मामले की बगैर जांच

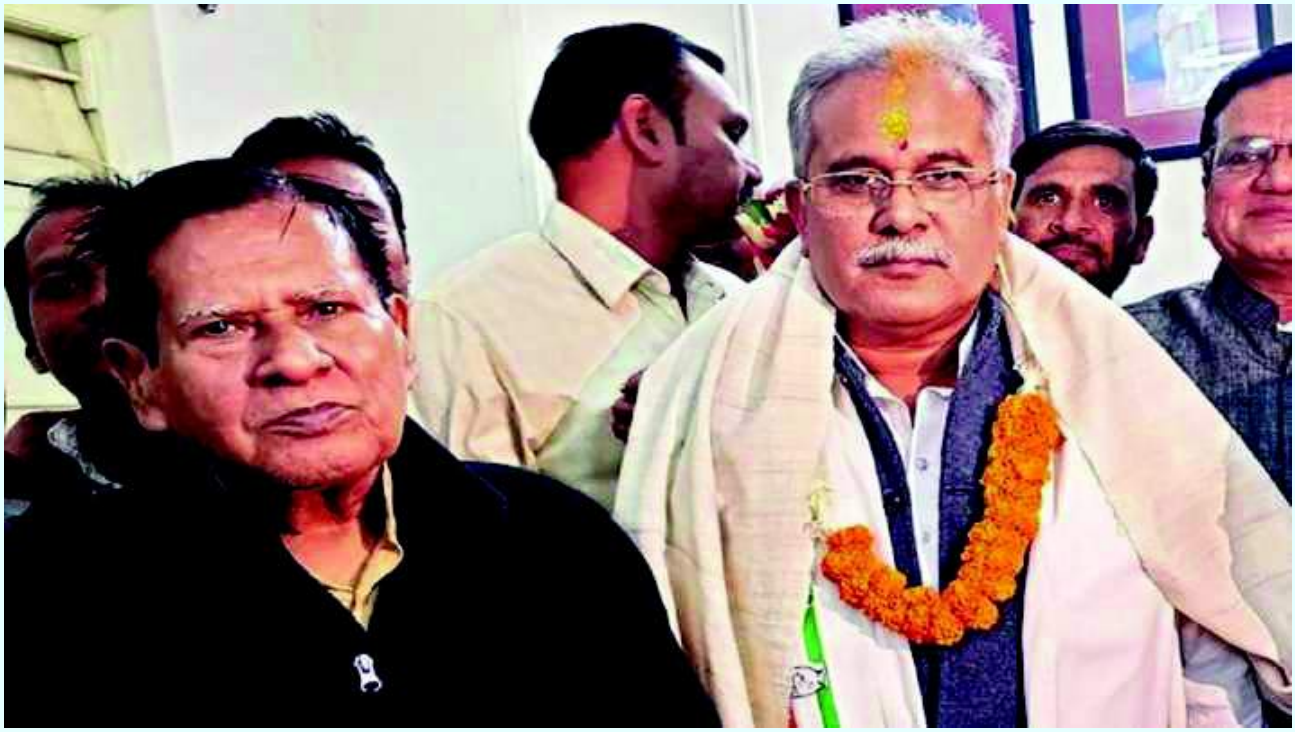

दिया है। हांलाकि मुख्यमंत्री बघेल समर्थकों की दलील है कि इस मामले का उनकी कुर्सी से कोई लेना-देना नही है। जब तक कांग्रेस अलाकमान चाहेगा वे तब तक इस कुर्सी पर काबिज रहेंगे। उनके मुताबिक महात्मा गाँधी के प्रति बघेल के आदर भाव के चलते यह कार्यवाही की गई है। उत्तरप्रदेश समेत आधा दर्जन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस मामले की गूंज भी सुनाई दे तो इस पर आश्चर्य नही होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर आखिर क्यों अंतर्राज्यीय प्रोटोकॉल का पालन नही किया। यह भी चर्चा में है। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं कांग्रेस सरकार ने त्वरित कार्यवाही के लिए आनन्द छाबड़ा और उनकी टीम की पीठ थपथपाई। इस साहसिक कार्यवाही के लिए पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की भी चर्चा शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नन्दकुमार बघेल भी बाहमणों और भगवान राम के बारे में कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। उनके बयानों से देश प्रदेश का सामाजिक माहौल भी बिगड़ा है। सालों से वे राम और ब्राह्मण दोनों ही के बारे में बिगड़े बोल बोलते रहे हैं। लेकिन इसी साल सितम्बर माह में मुख्यमंत्री बघेल ने पुलिस को निर्देश देकर उनके खिलाफ साधारण धाराओं के तहत रायपुर के डीडी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्हें संत कालीचरण की तर्ज पर गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि

किये जूनियर अफसरों के इशारे पर डीजी संजय पिल्ले को पुलिस मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान इंटेलिजेंस की जवाबदारी आनंद छाबड़ा के हाथों में आ गयी। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों खासकर ईडी, आयकर, आईबी एवं अन्य विभागों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के अवैध रूप से फ़ोन टेपिंग की चर्चाएं इन दिनों आम हैं। यही नही

पुलिस हिरासत में आलाधिकारी उनके आगे नतमस्तक नजर आये। उनके खिलाफ न तो देशद्रोह की धारा लगाई गई और न ही अन्य मामलों को लेकर कोई दूसरा प्रकरण दर्ज किया गया। नन्दकुमार बघेल इस मामले में गिरफ्तार हुये और तीन–चार दिनों तक रायपुर सेन्ट्रल जेल में निरूद्ध भी रहे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के दौरान बयान दिया था कि वे जमानत नही लेंगे। लेकिन जेल जाने के तीन चार दिनों के बाद ही उनकी ओर से जमानत ले ली गई। बताया जाता है कि उत्तरप्रदेश के लखनऊ में उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इस राज्य में विधानसभा चुनाव के चलते उनका यह बयान कांग्रेस के गले की फॉस बनता नजर आ रहा था। लिहाजा मामले को बिगड़ता देख भूपेश बघेल ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मीडिया के जरिये इसका खूब हो हल्ला किया गया कि मुख्यमंत्री बघेल ने कानून का पालन करते हुए अपने पिता को जेल भिजवाया था। राजनैतिक पण्डितों के मुताबिक उत्तरप्रदेश में ब्राह्मणों को ही नही बल्कि प्रियंका गाँधी को नन्दकुमार बघेल के बयानों से गहरा धक्का लगा था। इससे पहले कि उनका यह बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनता, नन्दकुमार बघेल के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश प्रियंका गाँधी ब्रिगेड द्वारा दिये गये थे। इधर एक बार फिर ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में उस समय निर्मित हुई जब कालीचरण ने धर्म संसद में महात्मा गाँधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। कांग्रेस से जुड़े लोगों के कार्यक्रम में नाथूराम गोडसे की वाहवाही और महात्मा गाँधी पर प्रतिकूल टिप्पणी मुख्यमंत्री बघेल के लिए एक नई मुसीबत बनकर टूटी थी। उनके बचाव के लिए पार्टी ने कालीचरण को बलि का बकरा बनाकर पेश कर दिया। महात्मा गाँधी राम के अनन्य भक्त थे। ब्राह्मणों के प्रति आदर भी कोटी–कोटी उनके भीतर था। लेकिन दोनों के प्रति बिगड़े बोल को लेकर उनके खिलाफ कालीचरण जैसी कार्यवाही सिर्फ सपना बनकर रह गई।

ब्राम्हण कुमार रावण को मत मारो- नंदकुमार बघेल द्वारा लिखित ब्राम्हण कुमार रावण को मत मारो पुस्तक है। इस पुस्तक को 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रतिबंधित किया था और लेखक नंदकुमार बघेल को गिरफ़्तार भी किया था। इस पुस्तक के माध्यम से नंदकुमार बघेल ने मर्यादा पुरूषोत्तम राम के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं। साथ ही माता सीता के खिलाफ भी पुस्तक में गालियां दी गई हैं। नंदकुमार बघेल अपनी पुस्तक के माध्यम से भगवान राम और सीता के खिलाफ अपशब्द कहते हैं वहीं उनके बेटे सीएम भूपेश बघेल प्रदेश में हिन्दुओं के वोट पाने के लिए रामगमन पथ बनाने की बात करते हैं।

तुहिन मलिक हत्याकांड में अभी तक गिरफ़्तारी क्यों नहीं?- छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में तुहिन मलिक हत्याकांड में आईएएस किरण कौशल के भाई की फरारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कही रसूख के चलते ही तो पुलिस वरुण कौशल को नहीं पकड़ रही है। वरुण कौशल 2018 से फरारी काट रहा है लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पायी है। इस हत्याकांड में भी पुलिस ने 02 आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन जो मुख्य 2 आरोपी पकड़ से बाहर हैं उनमें से एक सरगुजा कलेक्टर किरण कौशल का भाई है। वरुण कौशल का इस हत्याकांड के अलावा भी राजधानी के अलग अलग थानों में आधा दर्ज से यादा मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, चाकूबाजी आदि जैसे कई मामले शामिल हैं। किसी भी मामले में पुलिस को आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस हत्याकांड में जो कार प्रयुक्त हुई थी वह भी वरुण कौशल की ही है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और मुख्य आरोपी वरुण कौशल और समीर साहू की फरारी से कई सवाल रायपुर पुलिस पर उठने लगे हैं। यहां भूपेश बघेल क्यों नहीं तत्परता दिखा रहे हैं?

इंटेलिजेंस विभाग के करोड़ों के फंड के राजनैतिक इस्तेमाल और बंदरबाट को लेकर छाबड़ा की कार्यप्रणाली सुर्खियों में है। इसकी जांच बेहद जरूरी बताई जा रही है।

इंटेलिजेंस विंग में राज्य पुलिस सेवा के एक जूनियर डीएसपी अभिषेक माहेश्वरी को दोहरी पदोन्नति देते हुए डीआईजी स्तर के पद पर बैठा दिया गया है। इस शख्स के

जायज रूतबे के, नाजायज फायदे लेने वाले अफसर

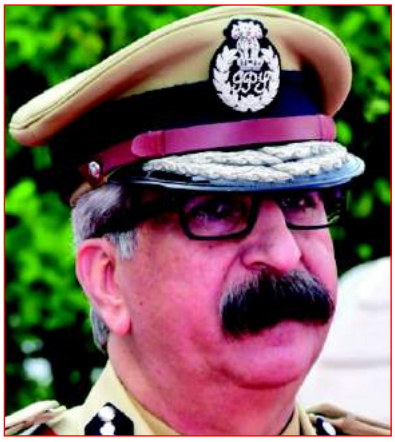

अशोक जुनेजा

आनंद छाबड़ा

आरिफ शेख

कंधों पर वैध-अवैध फ़ोन टेपिंग के मामले लाद दिए गए हैं। दरअसल बड़े पदों की कुर्सी पर बैठकर जूनियर अधिकारी फूले नही समा रहे हैं। वे कायदे कानूनों की परवाह किये बगैर सत्ता के नशे में हर एक गैर कानूनी कार्य करने को तैयार हैं।

उधर ईओडब्ल्यू और एसीबी का यही हाल है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो में डीजी का पद स्वीकृत है। लेकिन एक जूनियर डीआईजी को इसकी कमान सौंप दी गई। इसके चलते भ्रष्टाचार में लिप्त कई वरिष्ठ अफसरों की जांच को लेकर तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस तैनाती से सीनियर अधिकारियों की जांच जूनियर अधिकारियों के हाथों में आ गई है। वर्तमान में 2005 बैच के आरिफ शेख को इस महकमे के प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश के प्रमुख शहर बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और बस्तर रेंज की कमान भी वरिष्ठ आईजी स्तर के अफसरों के हाथों में होती थी। लेकिन इन रेंज में अब प्रभारी आईजी के रूप में जूनियर डीआईजी की नियुक्ति की गई है। मैदानी इलाकों का तो और बुरा हाल है। जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर

जायज रूतबे के, नाजायज फायदे लेने वाले अफसर

अभिषेक महेश्वरी

अनिल टुटेजा

सौम्या चौरसिया

प्रमोटी आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि सीधे आईपीएस बने अफसरों को विभाग की विभिन्न विंग में सेनानी जैसे पदों पर सीमित कर उनकी क्षमता का दुरुपयोग किया जा रहा है। यादातर आईपीएस उन्हें बाबू और क्लर्क जैसे कामकाज सौंपने के चलन से नाराज हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में जूनियर आईपीएस अधिकारियों का गिरोह बन गया है। ये गिने-चुने अफसर माफियाराज की तर्ज पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र सरकार की आईबी जैसी एजेंसियों के अफसरों को भी वे उपकृत कर रहे हैं। उन्हें आवास एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनका यह दावा काफी हैरत भरा है। सत्ताधारी दल की खुल्लेआम चाटुकारिता करने से नेता भी ऐसे अफसरों को हाथों हाथ ले रहे हैं। वहीं आम जनता, व्यापारी, उद्योगपतियों और पत्रकारों का बुरा हाल है। आईएएस और आईपीएस अफसरों की काली करतूतों को उजागर करने वाले पत्रकारों को जेल का रास्ता दिखाने से प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी की स्थिति निर्मित हो गई। मीडिया में सरकार का कब्जा हो जाने के चलते जनता भी हकीकत से रूबरू नही हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट के इस दौर में कांग्रेस अलाकमान से भी राज्य के नागरिक मौजूदा हालात से मुक्ति की मांग कर रहे हैं।

जूनियर तय करते हैं वरिष्ठों की पोस्टिंग- किसी भी राज्य में अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के कंधे पर होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल इसके उलट कार्यवाही चल रही है। राज्य के जूनियर अधिकारी अपने से वर्षो पुराने वरिष्ठ अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह सब इसलिए चल रहा है कि क्योंकि यह जूनियर अधिकारी राय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खुद को प्रतिनिधि समझते हैं और राज्य के मंत्रियों का भी इन अधिकारियों पर कोई जोर नहीं चल रहा है। ऐसे अफसरों को सत्ताधारी दल से मिल रही तरजीह के चलते ये अफसर सरकार के कमाऊ पुत के रूप में सुर्खियां बटोर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव हो या अन्य राजनैतिक कार्यम या फिर देश किसी भी हिस्से में होने वाले विधानसभा चुनाव इसके लिए फंड इकट्ठा करने की जबावदारी दी है।

भ्रष्टाचार करने में मिला है अफसरों को तमगा- छत्तीसगढ़ में पदस्थ अफसरों को राज्य के अंदर भ्रष्टाचार करने पर तमगा मिला हुआ है। अफसरों ने राय के अंदर ऐसी लूट खसोट मचाई है कि आमजन पूरी तरह से हतप्रभ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसर सौम्या चौरसिया के घर पर आयकर विभाग की हुई छापेमार कार्यवाही ने अफसरों और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच के संबंधों को खोलकर रख दिया। पांच दिन तक चली छापेमार कार्यवाही में 150 करोड़ रुपए के लेनदेन के मामले सामने आए हैं। यही नहीं रायपुर में व्यक्तियों, हवाला डीलरों और व्यापारियों के एक समूह पर खोज पर की गई कार्य़वाही में भी विश्वसनीय इनपुट्स, खुफिया और शराब और खनन व्यवसाय से बड़ी बेहिसाब नकदी के सृजन के साक्ष्य मिले थे।

2021 में देश के 84 फीसदी परिवारों की आय घटी, अरबपतियों की संख्या बढ़ी

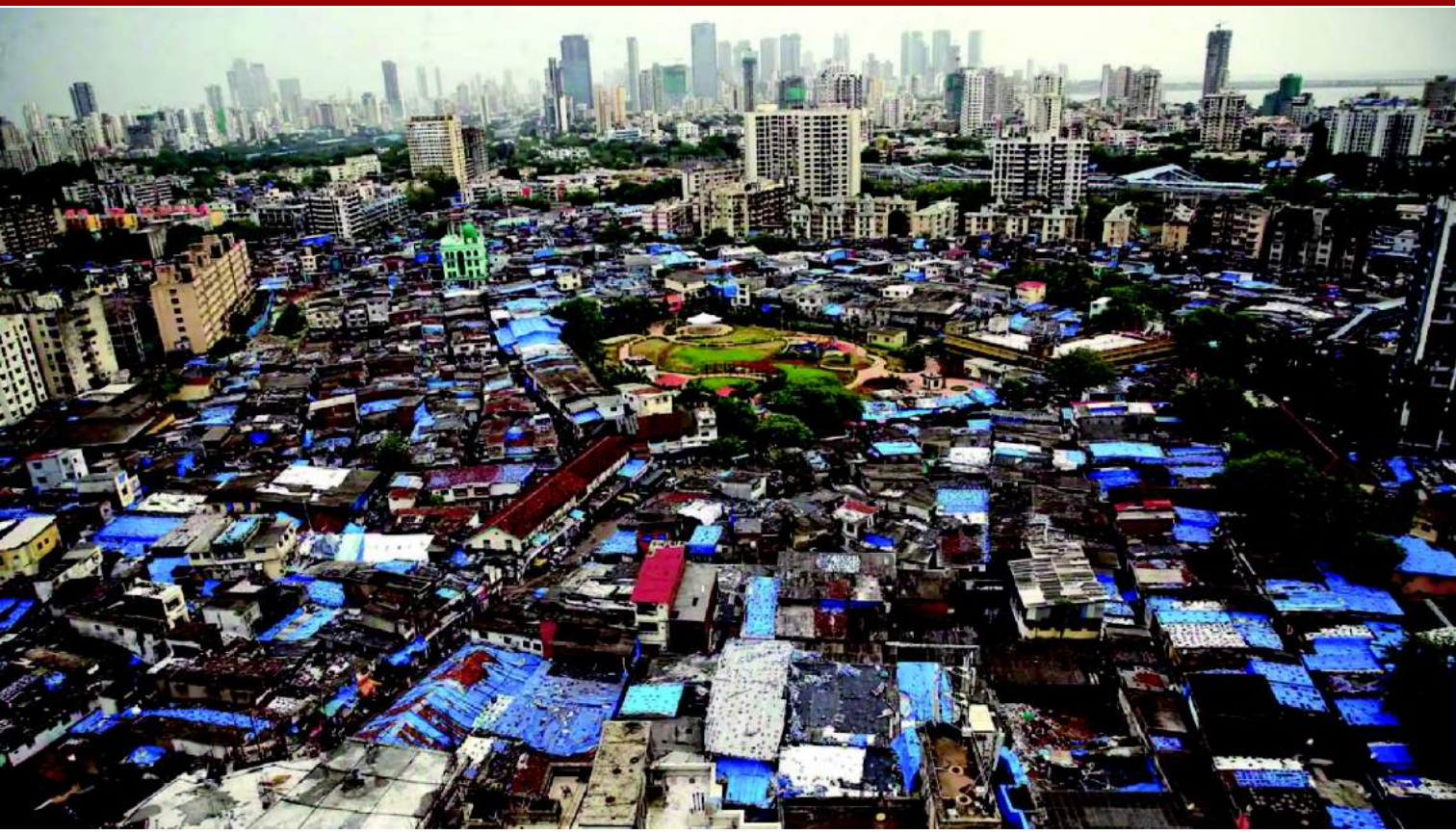

नवीन शर्मा

ऑक्सफैम की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में भारत के 84 फीसदी परिवारों की आय घटी है, पर इसी समान अवधि में देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्वैलिटी किल्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा से पहले जारी की गई इस रिपोर्ट से पता चला कि देश में कोरोना के कहर के बीच स्वास्थ्य बजट में 2020-2021 के संशोधित अनुमान से 10 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। इस दौरान शिक्षा के आवंटन में छह फीसदी की कटौती हुई है। वहीं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कुल केंद्रीय बजट के 1.5 फीसदी से घटकर 0.6 फीसदी हो गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति रिकॉर्ड 57.3 लाख करोड़ रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गई है। इसी समान साल में नीचे की 50 फीसदी आबादी के हिस्से सिर्फ छह फीसदी राशि आई। रिपोर्ट बताती है कि महामारी (मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 के दौरान) के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपये हो गई। साल 2020 में 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों का 2020 में अत्यंत गरीबी में पहुंच गए हैं। यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, वैश्विक नए गरीबों का लगभग आधा है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन

और अमेरिका के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है, जहां अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है। फ्रांस, स्वीडन और स्विटजरलैंड की तुलना में 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या में 39 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब भारत में बेरोजगारी दर शहरी इलाकों में 15 फीसदी तक है और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चरमराने के कगार पर पहुंच गई है। देश के सबसे अमीर 100 परिवारों की संपत्ति में हुई वृद्धि का लगभग पांचवां हिस्सा सिर्फ अडाणी के कारोबारी घराने के पास आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमीरों की सूची में गौतम अडाणी विश्व स्तर पर 24वें, जबकि भारत में दूसरे स्थान पर है। उनकी कुल संपत्ति 2021 में बढ़कर 50.5 अरब डॉलर हो गई है जबकि 2020 में यह 8.9 अरब डॉलर थी। इस तरह उनकी संपत्ति में एक साल में आठ गुना का इजाफा हुआ है। फोर्ब्स के आंकड़ों बताते हैं कि 24 नवंबर 2021 तक अडाणी की कुल संपत्ति 82.2 अरब डॉलर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आठ महीनों की अवधि में अडाणी की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में अडाणी द्वारा खरीदी गई कार्माइकल खदानों से रिटर्न और मुंबई हवाईअड्डे में 74 फीसदी हिस्सेदारी खरीदना भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया, इसी समय 2021 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति दोगुनी होकर 85.5 अरब डॉलर हो गई जबकि 2020 में यह 36.8 अरब डॉलर थी। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा, इस असमानता की कड़वी वास्तविकता इस ओर इशारा करती है कि हर दिन कम से कम 21,000 लोगों

24 नवंबर 2021 तक अडाणी की कुल संपत्ति 82.2 अरब डॉलर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आठ महीनों की अवधि में अडाणी की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में अडाणी द्वारा खरीदी गई कार्माइकल खदानों से रिटर्न और मुंबई हवाईअड्डे में 74 फीसदी हिस्सेदारी खरीदना भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया, इसी समय 2021 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति दोगुनी होकर 85.5 अरब डॉलर हो गई जबकि 2020 में यह 36.8 अरब डॉलर थी।

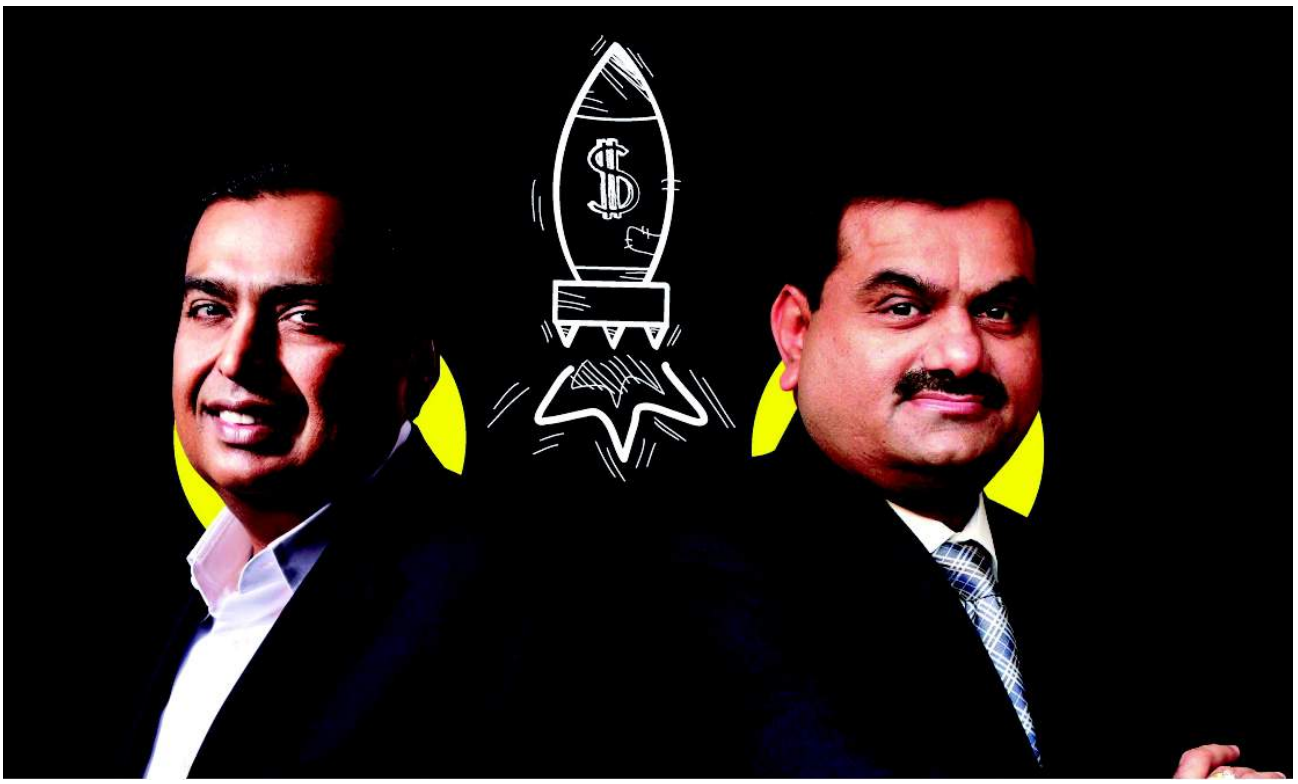

या हर चार सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। उन्होंने कहा, महामारी ने लैंगिक समानता को 99 साल से वापस 135 साल कर दिया है। महिलाओं को सामूहिक रूप से 2020 में कमाई में 59.11 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 2019 की तुलना में अब 1.3 करोड़ कम महिलाएं काम करती हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी ब्रीफिंग में बीते चार सालों में केंद्र सरकार के राजस्व के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का भी उल्लेख किया जबकि इस दौरान कॉरपोरेट कर में गिरावट देखने को मिली।

भारत के 9 अमीरों के पास है 50 फीसदी आबादी के बराबर संपत्ति

भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 2018 में प्रतिदिन 2,200 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इस दौरान, देश के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की संपत्ति में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 50 प्रतिशत गरीब आबादी की संपत्ति में महज तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। देश के शीर्ष नौ अमीरों की संपत्ति पचास प्रतिशत गरीब आबादी की संपत्ति के बराबर है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक से पहले जारी इस अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर के अरबपतियों की संपत्ति में पिछले साल प्रतिदिन 12 प्रतिशत यानी 2.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। वहीं, दुनिया भर में मौजूद गरीब लोगों की 50 प्रतिशत आबादी की संपत्ति में 11 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रहने वाले 13.6 करोड़ लोग साल 2004 से कर्जदार बने हुए हैं। यह देश की सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर 112 अरब डॉलर हो गयी। उनकी संपत्ति का एक महज एक प्रतिशत हिस्सा यूथोपिया के स्वास्थ्य बजट के बराबर है। भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 77.4 प्रतिशत हिस्सा है। इनमें से सिर्फ एक ही प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 51.53 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, करीब 60 प्रतिशत आबादी के पास देश की सिर्फ 4.8 प्रतिशत संपत्ति है। देश के शीर्ष नौ अमीरों की संपत्ति पचास प्रतिशत गरीब आबादी की संपत्ति के बराबर है। भारत में रहने वाले 13.6 करोड़ लोग साल 2004 से कर्जदार बने हुए हैं और यह देश की सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी है।

आर्थिक असमानता का शिकार हैं महिलाएं

भारत समेत दुनिया भर में आर्थिक असमानता बढ़ रही है और इससे सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। अगर भारत की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को वेतन वाले काम मिलने के आसार कम रहते हैं। देश के 119 सदस्यीय अरबपतियों में सिर्फ 9 महिलाएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की तुलना में

महिलाओं के वेतन में भी काफी अंतर है। यह एक वजह है जिसके चलते महिलाओं की आय पर निर्भर परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। देश में महिला-पुरुष के वेतन के बीच का यह फर्क 34 प्रतिशत का है। धर्म, जाति, वर्ग, उम्र और लिंग जैसे कारक भी महिलाओं के प्रति असमानता को प्रभावित करते हैं। साल 2006 के मुकाबले इसमें सिर्फ 10 पायदान की कमी आई है। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश चीन और बांग्लादेश से पीछे है। दुनिया भर की महिलाएं साल भर में 710 लाख करोड़ रुपए (10 लाख करोड़ डॉलर) के मेहनताने के बराबर ऐसे काम करती हैं जिनका उन्हें भुगतान नहीं मिलता। शहरी इलाकों के पुरुष महिलाओं के मुकाबले महज 29 मिनट प्रतिदिन और ग्रामीण पुरुष 32 मिनट प्रतिदिन घर और बच्चों की देखभाल जैसे कामों को देते हैं।

असमानता दूर करने में भारत का प्रदर्शन ख़राब, 157 देशों की सूची में 147वें स्थान पर

असमानता को दूर करने के मामले में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन काफी खराब है। एक रिपोर्ट के अनुसार असमानता को दूर करने की प्रतिबद्धता के मामले में भारत काफी पीछे है। इस मामले में 157 देशों की सूची में भारत 147वें स्थान पर है। डेनमार्क इस सूची में शीर्ष पर है। नाइजीरिया, सिंगापुर, भारत और अर्जेंटीना जैसे देशों का प्रदर्शन इस मामले में काफी खराब है। इस सूचकांक में 157 देशों को सामाजिक खर्च, कर और श्रम अधिकार संबंधी उनकी नीतियों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। दक्षिण कोरिया, नामीबिया और उरुग्वे जैसे देश असमानता दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। वहीं भारत और नाइजीरिया जैसे देशों का प्रदर्शन इस मामले में काफी खराब है। अमीर देशों की बात की जाए तो अमेरिका ने असमानता को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। रैंकिंग की बात की जाए, तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण पर खर्च के मामले में भारत 151वें, श्रम अधिकारों और मजदूरी के मामले में 141वें और कराधान नीतियों के मामले में 50वें स्थान पर है। आठ दक्षिण एशियाई देशों में भारत छठे स्थान पर है। सार्वजनिक खर्च और श्रम अधिकार के मामले में यह छठे स्थान पर है। भारत के मुकाबले चीन लोगों के कल्याण में चार गुना राशि खर्च करता है। ये दिखाता है कि चीन गरीब और अमीर के बीच की दूरी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। असमानता की वजह से आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है, गरीबी के प्रति लड़ाई को नजरअंदाज किया जाता है और समाज में टेंशन बढ़ती है।

निःस्वार्थ मानवसेवा का जीवंत उदाहरण है करूणाधाम आश्रम

सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी संत सुदेश शांडिल्य जी

समता पाठक

मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस बात को बखूबी चरितार्थ कर रहा है राजधानी भोपाल के नेहरु नगर में स्थित करूणाधाम आश्रम। वैसे तो इस आश्रम में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है और सैकड़ों लोग यहां दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। लेकिन मंदिर प्रबंधन ने खुद को न सिर्फ मंदिर में मूर्ति स्थापना तक सीमित रखा। बल्कि उन्होंने समाजसेवा में बड़ा उदाहरण पेश किया है। आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य महाराज के नेतृत्व में आज यह आश्रम लाखों लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ा है। यह मदद सिर्फ मंदिर परिसर में आए लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि मंदिर प्रबंधन ने ऐसी व्यवस्था की है कि दूर-दूर तक के लोगों को उनके स्थान पर ही पहुंचकर ये लोग मदद पहुंचाने का समाज कार्य कर रहे हैं। आश्रम का मूल उद्देश्य जनमानस में सेवाभाव का प्रमुखता से प्रचार-प्रसार करना है, जिससे हर व्यक्ति आगे जाकर सेवा को अपना प्रमुख उद्देश्य मानकर हर निराश्रित व दरिद्रनारायण की सेवा कर सके। पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य महाराज गरीबों की सेवा करने में भी तत्पर आगे रहते हैं। जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था करना, कपड़े बांटना जैसे पुनीत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालगोविंदोत्सव 2021 के दौरान सुदेश शांडिल्य जी को कोरोना योद्धा से सम्मानित करते हुए

कार्य कर भी वह समाजसेवा का अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। निश्चित ही ऐसे सेवाभावी लोगों का देख कर समाज के अन्य समाजसेवी प्रेरित होकर ऐसे पुनीत कार्य करते हैं।

1996 में किया था आश्रम स्थापित

महान व्यक्तियों के मन में जो विचार होते हैं, वही वो बोलते हैं और उसे कर्म में लाते हैं। पितृ पुरुष करुणाधाम आश्रम ब्रह्मलीन बड़े गुरुदेव श्री बाल गोविन्द जी शांडिल्य ने इस पंक्ति को चरितार्थ करने अपनी कर्म-साधना को विस्तारित करने के लिए सन् 1986 में आश्रम समिति का पदभार अपने पुत्र गुरुदेव सुदेश जी शांडिल्य को दिया। गुरुदेव जी का जन्म 06 अप्रैल 1966 को हुआ था। आज हम बड़े गुरुदेवजी की इच्छा और उनके स्वप्नों का विस्तार करुणाधाम आश्रम के सेवा कार्यो के स्वरुप में देख रहे हैं। आज हम बड़े

करूणाधाम आश्रम की समाजसेवा की प्रमुख गतिविधियां

- **सेवा के प्रारूप विस्तार देने के लिए दरिद्रनारायण सेवा में नि:शुल्क होमियोपैथी परामर्श व उपचार केंद्र सन् 2004 में खोला गया, जिसका लाभ अभी तक 1,00000 से ज्यादा रोगी ले चुके हैं।**
- **अन्न क्षेत्र का आरम्भ करुणाधाम आश्रम के परिसर में सन् 2010 में हुआ। जहाँ आज भी प्रात: 8 बजे लगभग 200-250 शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, इस सेवा का विस्तार परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में अग्रसर होते हुए सुल्तानिया हॉस्पिटल (2014), जयप्रकाश हॉस्पिटल (2015), एम्स भोपाल (2018) में किया गया, जहाँ अभी तक 23,15,470 दरिद्रनारायण लाभान्वित हो चुके हैं।**
- **एम्स भोपाल में दूर-दराज से आये हुए मरीजों के रिश्तेदारों के लिए आश्रम ने सेवा हेतु एम्स भोपाल की शासकीय समिति की सहायता से विश्रामालय का निर्माण किया। जहाँ अन्न क्षेत्र के साथ प्रात: की चाय भी दी जाती है। गौ-सेवा के लिए मधुसूदन गौ संरक्षण केंद्र है, जहाँ 80 गौधन निवास करता है, जनमानस में गौ प्रेम बना रहे उसके लिए गौ ग्रास रथ भी आरम्भ किया गया।**
- **दरिद्रनारायण की सेवा के लिए शांति वाहन जैसी नि:शुल्क सेवाएँ गुरुदेव के सानिध्य में करुणधाम आश्रम के तत्वावधान में तत्परता से संचालित हो रही हैं।**

वनवासी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को कंबल बांटते हुये संत सुदेश शांडिल्य जी।

गुरुदेवजी की इच्छा और उनके स्वप्नों का विस्तार करुणाधाम आश्रम के सेवा कार्यो के स्वरुप में देख रहे हैं। सुदेश शांडिल्य महाराज ने बड़े गुरुदेव की अभिलाषा को शिरोधार्य कर अपने प्रयासों से वर्ष 1996 के करुणाधाम आश्रम की स्थापना की। सुदेश जी शांडिल्य ने आज समाजसेवा के कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इनका मानना है कि समाजसेवा ही परमोधर्म है। इससे बड़कर कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्म नही है। संतों के स्वाभाविक गुणों के सेवा, समर्पण और शांति का भाव निहित होता है। सच्चा संत, जनमानस में धर्म के प्रति प्रेम भाव का संचार करता है। उन्हें कभी भी भीरु नहीं बनाता। गुरुदेव ने अपने अनुयायियों और आश्रम पधारने वाले महानुभवों भक्तों में धर्म के प्रति प्रेम का संचार ही किया है तथा धर्म को परिभाषित की किया किया है।

समाजसेवा ही महाराज जी का पहला उद्देश्य

आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य महाराज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है समाजसेवा। समाजसेवा के इस पुनीत कार्य में वो इतनी निपुणता के साथ सलंग्न हैं कि भोपाल ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी करूणाधाम आश्रम द्वारा चलाए जा रहे समाजसेवी अभियान से लाभान्वित हो रहे हैं। समय-समय पर यहां सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। यही नहीं परिसर के अंदर ही वृहद

करूणाधाम आश्रम में सुदेश शांडिल्य जी सपत्नीक औषधियों का वितरण करते हुये।

गौशाला, भोजन व्यवस्था, खाना एकत्रित करने जैसे सामाजिक कार्यो को भी किया जा रहा है।

राजनीतिक परछाई से कोसों दूर

जब भी किसी संस्था द्वारा समाजसेवा का निःस्वार्थ कार्य किया जाता है तो यह देख निश्चित ही क्षेत्र के राजनीतिक लोग अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराने के उद्देश्य से पहुंचते हैं। लेकिन करूणाधाम आश्रम और यहां पर सेवाभाव से कार्य कर रहे सैकड़ों लोगों की खासियत है कि यह पूरा परिसर राजनीतिक परछाई से कोसों दूर हैं। यहां न तो किसी राजनीतिक व्यक्ति का हस्तक्षेप है और न ही किसी राजनीतिक पार्टी का। यही वजह है कि यह आश्रम इतने सुव्यवस्थित ढंग से अपनी गतिविधियों का संचालन कर पा रहा है।

दूसरी संस्थाओं के लिए प्रेरणा है आश्रम

अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से अक्सर यह देखने और पढ़ने में आता है कि शहर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो निःस्वार्थ भाव के साथ समाजसेवा का कार्य कर रही हैं। लेकिन यह संस्थाएं समाजसेवा के कार्य का प्रचार-प्रसार करने की दिशा में अधिक विश्वास रखती हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि इन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा कार्य अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। लेकिन करूणाधाम आश्रम इन सभी चीजों से कोसों दूर रहकर समाजसेवा के कार्य में पूरी निपुणता के साथ कार्य कर रहा है।

गौसेवा केंद्र का हो रहा संचालन

करूणाधाम आश्रम के अंदर ही वृहद गौशाला केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र में 80 से अधिक गायों को रखा गया है, जिनकी प्रतिदिन सेवा करने के लिए लोगों को तैनात किया गया है। यही नहीं मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आने वाले लोग भी गौ सेवा में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं। अक्सर देखने में आता है कि घरों में अतिरिक्त खाना बच जाने की स्थिति में लोग बचे हुए खाने को अगले दिन कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं लेकिन करूणाधाम आश्रम प्रबंधन द्वारा एक कलेक्शन गाड़ी की शुरूआत कर लोगों के घरों से बचा हुआ खाना एकत्रित करना शुरू किया और इस खाने को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का निस्वार्थ कार्य किया जा रहा हैं। राजधानी भोपाल में स्थित एम्स में अक्सर अपने परिचितों का इलाज कराने के लिए पहुंचने वाले लोगों के भोजन एवं नाश्ते का प्रबंध ही मंदिर प्रबंधन ने किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में आश्रम

गुरुदेव ने युवाओं में सेवा भाव जाग्रत करने हेतु सेवा समर्पण और शांति के मूल सिद्धांत की आधारशिला रख करुणेश्वरी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना सन 2000 में की। जिनका मूल आधार था निराश्रित झुग्गी बस्ती के बच्चों की शिक्षा का उत्थान, जिसमें उनकी सामाजिक, अतिरिक्त पाठ्यचर्चा व सह पाठ्यचर्चा की गतिविधियों पर भी ध्यान दिया गया। कई वर्षो से बच्चो में प्रतियोगिता भावना बनाये रखने के लिए आश्रम परिवार सभी शिक्षण केंद्रों के छात्रों का वार्षिक सम्मलेन भी करता है, जिसमें लगभग 450 बच्चे सहभागी बनते हैं ।

कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पर बाल गोविंदोत्स्व का आयोजन कर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का कार्य भी किया। ये वे लोग थे जिन्होंने भदभदा और सुभाष नगर विश्राम घाटों में कोरोनाकाल में दिवंगत नागरिकों के अंतिम संस्कार का कार्य दायित्व निभाया। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब दिवंगत व्यक्ति के परिजन और मित्र भी वहां आने से हिचकते थे, तब इन सेवाभावियों ने कोरोना से दिवंगत लोगों की अंत्येष्टि का कार्य सम्मानपूर्वक किया।

असहाय होने का एहसास
कोरोना काल का एक साल

महीनों की पाबंदी के बाद अनलॉक हुआ और धीरे-धीरे भारत ने वैक्सीन भी विकसित कर ली। आज भारत के पास कोविड-19 के दो टीके हैं। वहीं, 16 जनवरी 2021 से पहले चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और देखते ही देखते इस अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। इसके कुछ ही समय बाद एक मार्च से दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत भी लोगों को कोरोना वायरस टीके की खुराक दी जाने लगी।

अर्चना शर्मा

एक बरस पूर्व कोरोना वायरस महामारी के बीच 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉक डाउन का ऐलान करते हुए भारतवासियों से अपने-अपने घरों में रुके रहने के लिए कहा था। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने, हाथ को साफ रखने जैसी तमाम गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए थे। यह एक तरह से कोरोना के प्रसार को रोकने की कोशिश व इस घातक बीमारी के खिलाफ आधिकारिक जंग की शुरुआत थी। जनता कर्फ्यू के दौरान एक तरह का अजीब सन्नाटा था।

उस समय कहा गया था कि यह लॉकडाउन का ट्रायल है। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि लॉकडाउन कब खुलेगा। लोगों की आंखों के सामने इस

भयानक वायरस की चपेट में आने से उनके अपनों की जान जा रही थी। क्या छोटा-क्या बड़ा, क्या जवान और क्या वृद्ध, कोरोना हर किसी को अपना शिकार बना रहा था। ऐसे में एकमात्र उपाय घरों में बंद रहना ही था। लोग लॉकडाउन के बीच इस घातक बीमारी की दवा का इंतजार करने लगे।

महीनों की पाबंदी के बाद अनलॉक हुआ और धीरे-धीरे भारत ने वैक्सीन भी विकसित कर ली। आज भारत के पास कोविड-19 के दो टीके हैं। वहीं, 16 जनवरी 2021 से पहले चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और देखते ही देखते इस अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। इसके कुछ ही समय बाद एक मार्च से दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत भी लोगों को कोरोना वायरस टीके की खुराक दी जाने लगी।

वैक्सीन विकसित किए जाने से लेकर पहले चरण के टीकाकरण अभियान के बीच कोरोना वायरस से संमित लोगों के मामले कम होने लगे थे। यह सब तभी संभव हो पाया जब सभी देशवासियों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एकजुटता दिखाई। खुद अनुशासित रहे और कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया।

हालांकि, अब एक बार फिर से कोरोना संमित मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह मामले आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। उम्मीद थी कि वैक्सीन आने के बाद भारत से कोरोना छूमंतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल मार्च में भारत में तब कोरोना ने दस्तक दी ही थी और 21 मार्च, 2020 तक 360 केस सामने आए थे। इनमें भी 41 मामले विदेशियों के थे। पिछले साल जनता कर्फ्यू लगने से पहले तक देश में सिर्फ 360 केस थे, जो आंकड़ा अब बढ़कर 1,16,46,081 पहुंच गया है। इसके अलावा एक्टिव केसों की बात करें तो अकेले महाराष्ट्र में ही आंकड़ा 2 लाख के पार है और देश भर में फिलहाल 3,34,646 लाख लोग कोरोना संमित हैं।

महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और कर्नाटक

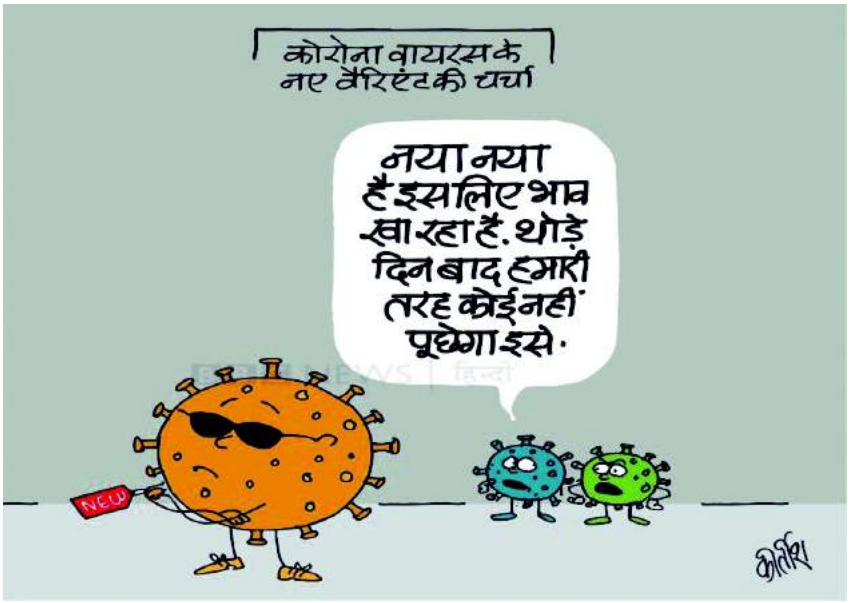

में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद भी इसके मामलों में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है? क्यों फिर से कोरोना पुराने रंग में दिख रहा है और दिन-प्रतिदिन ताकतवर हो रहा है? लेकिन यहां इस सवाल का जवाब भी हर किसी को मालूम है। कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि का प्रमुख कारण है लोगों की लापरवाही।

वायरस के दोबारा से ताकतवर होने की वजह

वैक्सीन आने के बाद लोग कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को हल्के में लेने लगे। लोगों को यह गलतफहमी हो गई कि वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना वायरस से उन्हें कोई खतरा नहीं है। सरकार का भी कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़त होने लगी है। कोरोना वायरस के दोबारा से ताकतवर होने के पीछे कई वजह हैं। लोग अब कोरोना गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं।

वैक्सीन आने से पहले जिस तरह से लोग मास्क का इस्तेमाल किया करते थे, हैंड सैनिटाइज किया करते और शारीरिक दूरी बनाकर रखते थे, अब वैसी गंभीरता नहीं दिख रही है। इसके अलावा लंबे समय तक जारी कोरोना पाबंदियों के बाद जब देश अनलॉक हुआ तो शादी-समारोह और अन्य आयोजनों की बाढ़ आ गई। शादी-समारोहों में लोग महामारी के पहले की तरह आने-जाने लगे। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उसे अनदेखा किया जा रहा है। इन सभी वजहों के चलते कोरोना को फिर से वार करने का मौका मिल गया।

सावधानी ही सुरक्षा

लोगों को यह समझना जरूरी है कि ऐसे कई मामले आए हैं, जिसमें वैक्सीन लगने के बाद भी लोग संमित होते जा रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, वह डराने वाला है। देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार भी तेज है, लोगों को वैक्सीन लग भी रही है, फिर भी मामलों में तेजी जारी है। इसका मतलब है कि हमें यह मानकर चलना होगा कि हमारे चारों ओर कोरोना है और इससे बचकर ही हमें जिंदगी जीनी है। जब तक देश में टीकाकरण अभियान खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती के साथ ही लड़ना है।

सियासी मुद्दा क्यों नहीं बनती हैं पहाड़ों की आपदाएं?

शैफाली दुबे

पहाड़ों में जनता की दुख-तकलीफ़ों को दूर करने के सियासी एजेंडा में पर्यावरण और विकास के सवाल हमेशा से ही विरोधाभासी रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दलों को लगता है कि पर्यावरण बचाने की बातें करेंगे तो विकास के लिए तरसते लोग वोट नहीं देंगे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव सिर पर हैं। दो दशक पूर्व राज्य बनने के बाद अब चार महीने बाद यहां के मतदाता पांचवीं बार नई सरकार के लिए वोट डालेंगे, लेकिन जब भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में वोट मांगने जाती हैं तब न तो कोई पर्यावरण की बात करता है और न ही पहाड़ों में हर साल होने वाली आपदाओं से बचाव के लिए कोई चिंता उनकी बातों, भाषणों या घोषणा पत्र में झलकती है। दूसरी ओर मौसमी बदलाव, भयावह आपदाएं और पर्वतीय जनजीवन पर प्रकृति के रौद्र रूप का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव साल दर साल तीव्र हो रहा है। वास्तव में पहाड़ों में जनता की दुख-तकलीफों को दूर करने के सियासी एजेंडा में पर्यावरण और विकास के सवाल हमेशा से ही विरोधाभासी रहे हैं। इसलिए कि राजनीतिक दलों को लगता है कि पर्यावरण बचाने की बातें करेंगे तो विकास के लिए तरसते लोग वोट नहीं देंगे।

पर्यावरण संरक्षण की बातों को उत्तराखंड की सियासी पार्टियां और उनके नेतागण विकास विरोधी अवधारणा मानकर चलते हैं। जबकि हमें पर्यावरण संरक्षण की चिंता इसलिए होनी चाहिए कि इसी पर हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य टिका है। यदि पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा और ऐसी

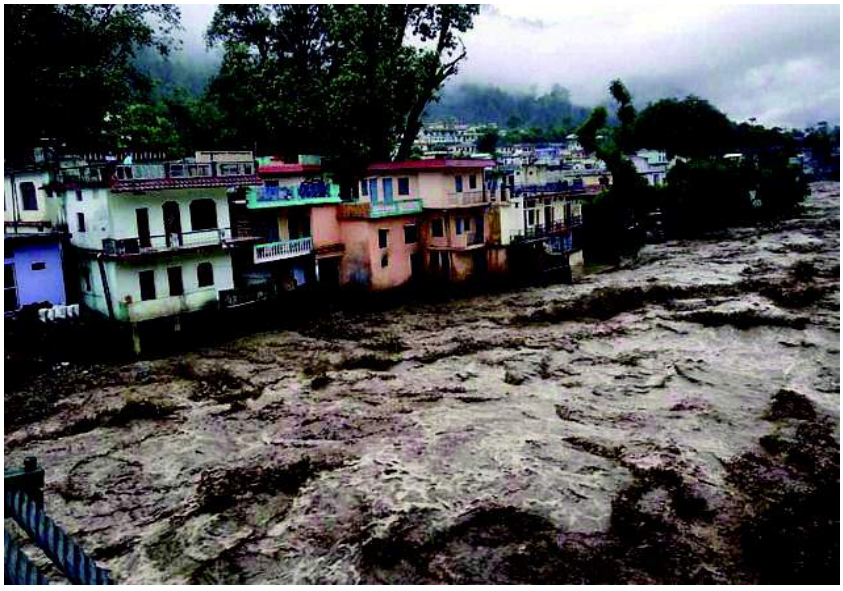

नीतियां अपनाई जाती रहेंगी जिनसे विकास नहीं बल्कि विनाश को न्योता मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि हम अपने समाज ही नहीं समूची मानवता को एक अंधेरी गली में धकेल रहे हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होने की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं लेकिन हाल के वर्षों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक भारी वर्षा के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। हाल में लौटते मानसून की भारी वर्षा के इस बुरे हश्र से कुमायूं मंडल में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। करीब 70 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। अकेले नैनीताल में बाढ़ व भूस्खलन ने तीन दर्जन से ज्यादा लोगों का जीवन लील लिया।

उत्तराखंड के पहाड़ों में ये आपदाएं घूम-फिरकर जून 2013 की यादों को हर वक्त ताज़ा कर देती हैं। जब केदारनाथ में तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोग कुछ ही मिनटों में भारी बाढ़ की चपेट आने से मौत के मुंह में चले गए। इसी तरह 2021 फरवरी के शुरू में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से धौली गंगा नदी में आई भारी बाढ़ ने जो तबाही मचाई उसकी विभीषिका से कुछ ही किमी दूर निर्माणाधीन तपोवन-रैणी पावर प्रोजेक्ट में 150 से ज्यादा श्रमिक और इंजीनियर मौत के मुंह में समा गए। ज्ञात रहे कि यह पूरा क्षेत्र भूकंप व भूकंपीय लिहाज से भी काफी संवेदनशील है। 1991 में उत्तरकाशी में आए भयावह भूकंप से 786 लोगों की मौत हो गई थी। उसके कुछ ही साल बाद 1998 में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में मालपा में एक बड़े भूस्खलन ने जो तबाही मचाई, उसमें बड़ी तादाद में स्थानीय लोग तो मरे ही,

मानसरोवर यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्री और सैलानी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मालपा हादसे से उत्तराखंड का यह पर्वतीय क्षेत्र अभी उबर ही न पाया था कि 1999 में चमोली में एक भारी भूकंप (रिक्टर पैमाने पर 6.8) ने 106 स्थानीय लोगों की जान ले ली। इस भूकंप नेना केवल मुख्य सड़कों में दरारें पैदा कर दीं बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों के घरों, होटलों और पुलों को भी क्षतिग्रस्त किया। इन हादसों से पर्वतीय जनजीवन पर तात्कालिक और दूरगामी दोनों ही तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है। ज़ाहिर यह है कि पर्वतीय क्षेत्र पहले से ही मानवीय पलायन का बड़ा संकट झेल रहा है। इसके असर से पहाड़ के मैदानी क्षेत्रों में आबादी का दबाव बहुत बढ़ गया है। ज़ाहिर है कि कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी और उधमसिंह नगर के कई शहरों-कस्बों के लोगों ने नदी-नालों के किनारे मकान बसा दिए। पहाड़ों से आने वाले सैलाब को जब आगे बहाने का रास्ता नहीं मिलता तो बाढ की प्रलयकारी तेज धाराएं रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाती हैं।

पर्वतीय जिलों में अक्टूबर 2021 को हुई ताज़ा वर्षा और जनधन की इतनी हानि के कारणों को जानने के लिए अभी वैज्ञानिक आधार तलाशने में वक्त लगेगा लेकिन सरकार की विकास नीति को लेकर कई तरह के प्रश्न हमेशा खड़े रहते हैं। ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बड़े बांधों व जल विद्युत परियोजनाओं को प्राकृतिक आपदाओं का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पर्यावरणविद इन संवेदनशील पहाड़ों के सीने को चीर कर रन-फॉर-फीवर पैटर्न पर बांध परियोजनाओं के प्रति सरकारों को अरसे से आगाह करते आ रहे हैं।

पर्वतीय इलाकों मे 4-5 साल साल से बेमौसम की भारी वर्षा से वैज्ञानिक हैरान हैं। अब जरूरत इस बात की है कि पहाड़ों मे खेती के लिए मानसून की प्रतीक्षा जून मे नही बल्कि सितंबर-अक्टूबर तक करने का नया ट्रेंड विकसित करना होगा। चीन सीमा से सटे कुमायूं अंचल मे इस बार गढ़वाल के

मुकाबले विदा होते मानसून की भारी वर्षा के घटनाम पर गंभीर शोध व विमर्श हो ताकि मौसम के नए बदलावों का सामना हो सके। विडंबना यह भी है कि प्रकृति के इस रौद्र रूप और हादसों की आशंकाओं के बीच फंसे जीवित रहने की विवशताओं ने लोगों को अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के प्रति गहरी चिंताओं में डुबो दिया है। मुश्किल यह भी है कि सुदूर क्षेत्र सामरिक दृष्टि और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील हैं।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि हिमालय के तात्कालिक और दीर्घकालिक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय व उत्तराखंड में राज्य स्तर पर सरकारों की ओर से कोई गंभीर चिंताएं नहीं दिखतीं। हिमालय का यह पर्वतीय अंचल भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, साथ ही ऊंची चट्टानों के गिरने, नदी-नालों के प्रलयंकारी कटाव, ग्लेशियरों के पिघलने और लुप्त होने के साथ ही गर्मियों में यहां के जंगलों में भीषण आगजनी एक स्थानीय समस्या विकराल रूप ले रही है। सबसे बड़ी चिंता इन आपदाओं के कारण प्रकृति की होने वाली क्षति के साथ ही बेशकीमती जानें जा रही हैं। विशेषज्ञ बादल फटने की घटनाओं से होने वाले हादसों में एकाएक बढ़ोतरी से खासे चिंतित दिखते हैं। दरअसल, सत्ता में बने रहने के लिए वोट की राजनीति का सबसे अहम रोल हो गया है। पैसा, हैसियत और बाहुबल के बूते सत्ता तक पहुंचने की जद्दोजहद में पर्यावरण संरक्षण और हिमालय को आपदाओं से बचाने जैसी गंभीर बहस में न तो राजनीतिक लोग और सरकारें पड़ना चाहती हैं और न ही नौकरशाही का इस तरह के मामलों से कोई सरोकार दिखता है। आपदाओं और प्राकृतिक हादसों की इस जद्दोजहद में साधन संपन्न और मैदानी क्षेत्रों में ज़मीन और मकान खरीदने और बनाने की हैसियत वाले लोग ही खुद को सुरक्षित करने की जुगत में सफल हो रहे हैं। इसके उलट साधनहीन, बेबस, बेरोज़गार लोग सुदूर गांवों में जीवन बसर करने को अभिशप्त हैं।

बहरहाल इन प्राकृतिक आपदाओं पर 2-4 दिन तक बहस और खबरें कुछ टीवी चैनलों और अखबारों के पन्नों तक सीमित रहती हैं और उसके बाद वक्त बीतते ही इन सारी विभीषिकाओं को हमेशा के लिए भुला दिया जाता है।

History of the biological wars on globe

Dr. Vidhya Awate

Biological WarFare

It is using non- human life to disrupt or end human life, as living organisms are unpredictable and incredibly resilient. It is difficult to control biological weapons potentially devastating on the global scale, and prohibited globally under numerous treaties. It can also refer as bio terrorism.

The father of Japanese biological programme, the radical nationalist Shiro Ishli thought that such weapons would constitute formidable tools to further Japan's inpallaralistic plans. This started research in 1930 at Tokyo Army Medical School and later became the Head of the Japan's bio weapons programme.

The programme employed more than 5000 people, skilled 600 prisoners in a year. The Japanese tested 25 different disease causing agents on prisoners. They poisoned 1000 water well in Chinese villages to study

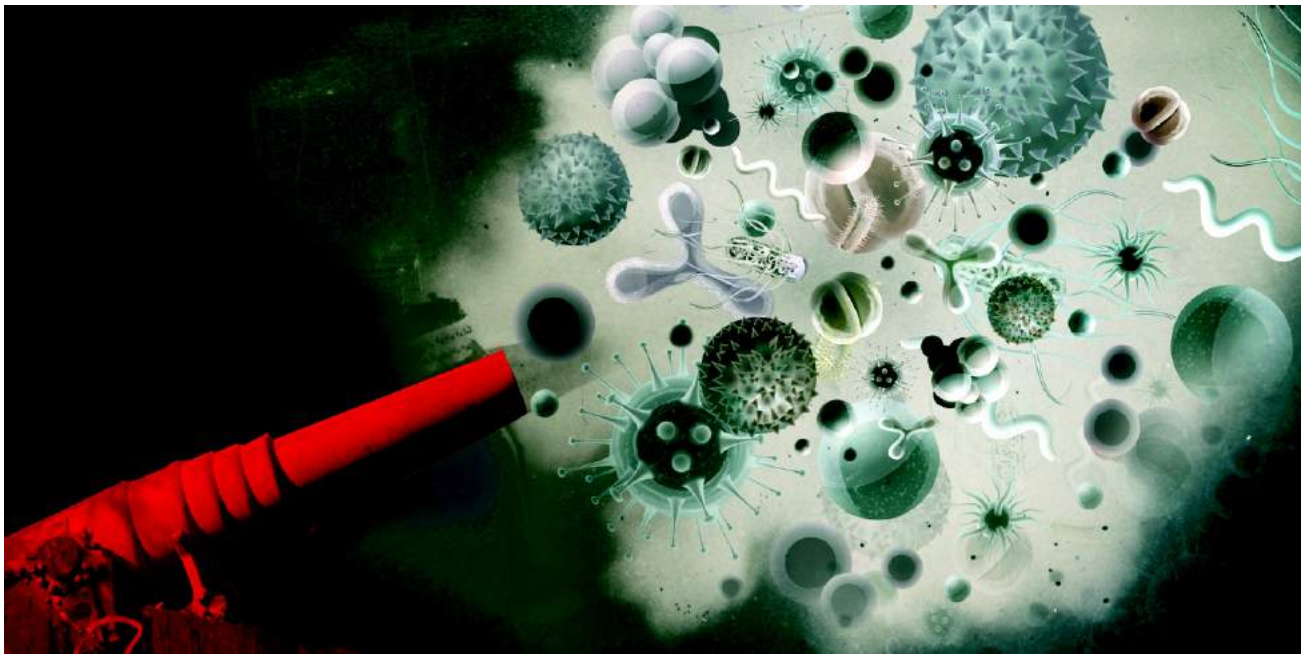

Cholera and Pyphus and Breaks.

Evidences

The earliest documented incident of the intention to use biological weapons is possibly recorded as in Hittipe Pext of 1500 people under B.C, in which victims of Tularemia rare driven into enemy lands pausing an epidemic.

The Roman Commander Manius Aquillius poisoned well of Besieged enemy sites in about 130 BC. On of the first recorded uses of. Biological warfare occurred in 1347, when mangrove forces reported to have Catapuddped plague infested bodies over the walls into the black teak wood of Paffa (now Feodosiya, Ukaraine)

The countries which have biological weapons includes Iran Iraq, Lybia, China, Russia and North Korea.

The American Assessment says the China has an advanced bioweapon programme. It also has an advance chemical warfare programme, that includes development production and weaponisation activities.

Various viruses which are fatal and no vaccines or effective therapies are currently available are the fellow viruses marburgh and ebola smallpox was also used as a biological weapon during the French and Indian wars by disturbing blankets which were used by smallpox caused by variula virus and was contagious. The degree of biological weapons prolification is highly uncertain difficult to detect and difficult to quantify in 1984 in most populous trends of US Dallas experimented with contaminating groceries restaurants and the water supply in the Dallas with salmonelia bacteria these efforts made nice made 751 people ill these attack was to stop the growth of popularity of bhagwan Shri Rajneesh in America in Wasco country Oregon in US.

Social impact of these biological weapons today has given a stressful life to people India reported over 34.5 million cases of coronavirus till November 29, 2021 the impact of coronavirus pandemic in India has been highly destructive in forms of economic activity as well as loss of human lives almost almost all the sectors have been adversely affected domestic demand and exports sharply.

International law treaty signed in 1925 by most of the world's country banning the use of chemical and biological weapons in warfare it was dropped at 1925 Geneva

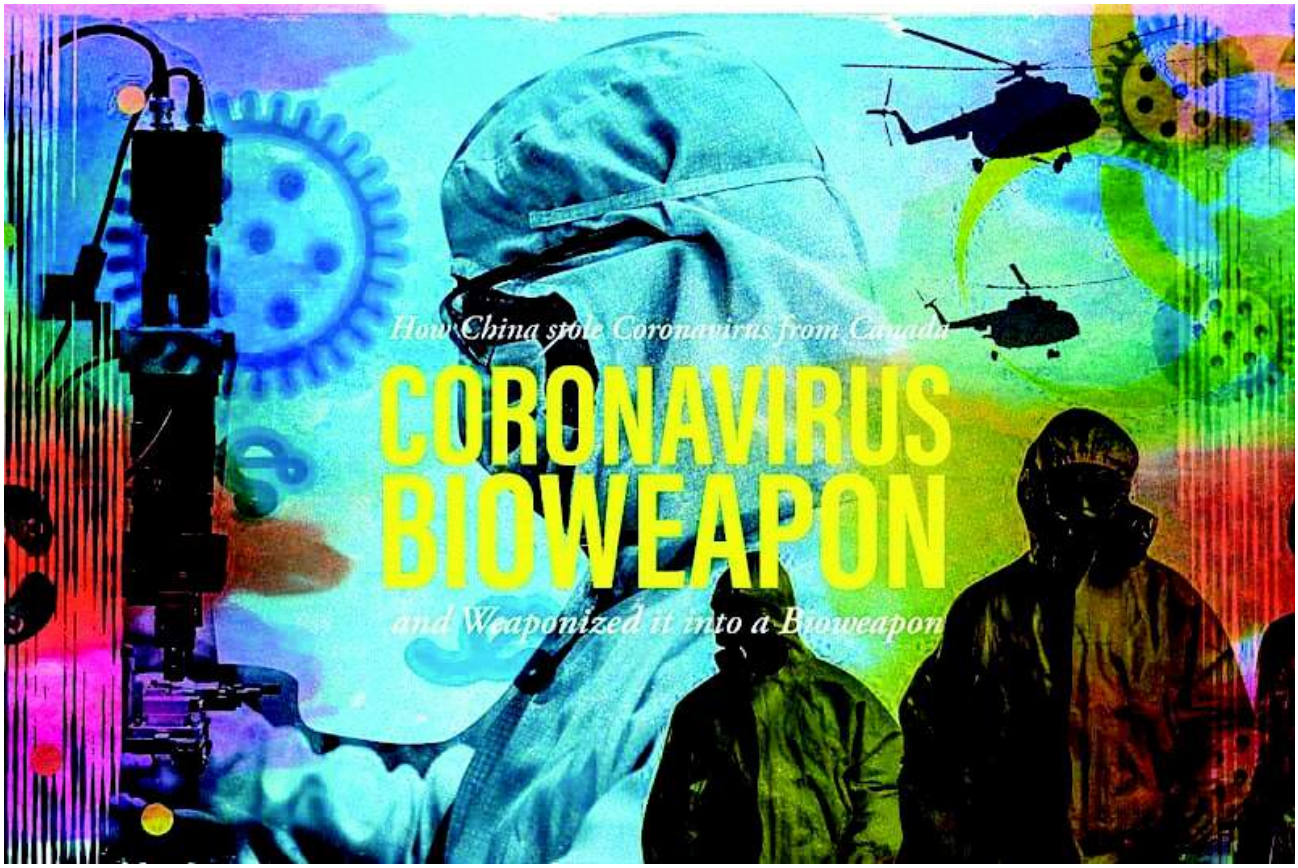

conference and was designed to avoid reflection of the atrocities committee by the belligence in World War I the document failed to address the production storage testing and transfer of the forbidden weapons in 20th century the 1st known reflections from SARS CoVID 19 were discovered in Wuhan China the original source of viable transmissions to human remains unclear as the virus became pathogenic before or after the spoiled event.

As long as the coronavirus spreads through the population mutations will continue to happen and the Delta variants family continues to evolve now India reports of omrican virus.

Social Impact

Social impact of these biological weapons today has given a stressful life to people India reported over 34.5 million cases of coronavirus till November 29, 2021 the impact of coronavirus pandemic in India has been highly destructive in forms of economic activity as well as loss of human lives almost almost all the sectors have been adversely affected domestic demand and exports sharply, plummeted with some notable expectations where high growth was observed lastly education sector has been disturbed on a large scale especially the school systems

It will be surely affected the growing children their physique emotional growth and create anxiety let us pray to God and appeal countries to spoil the play game.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

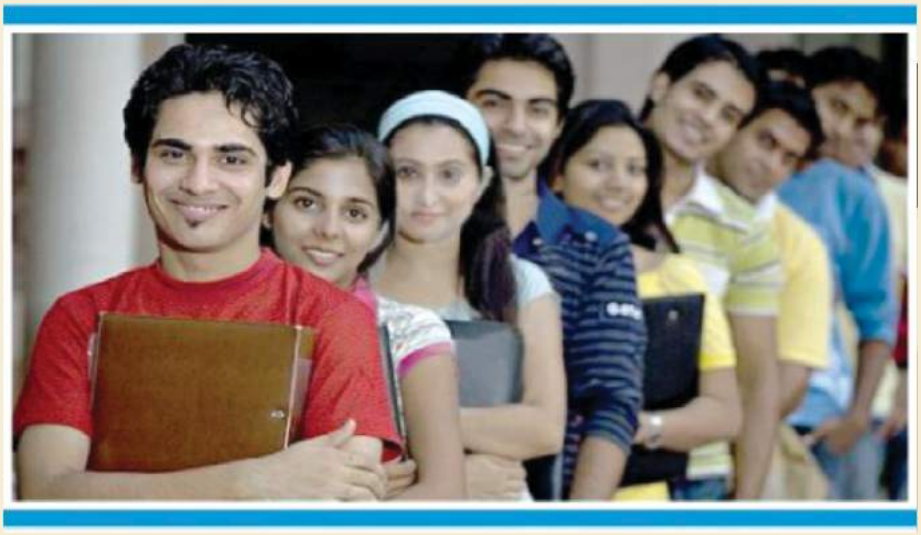

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS

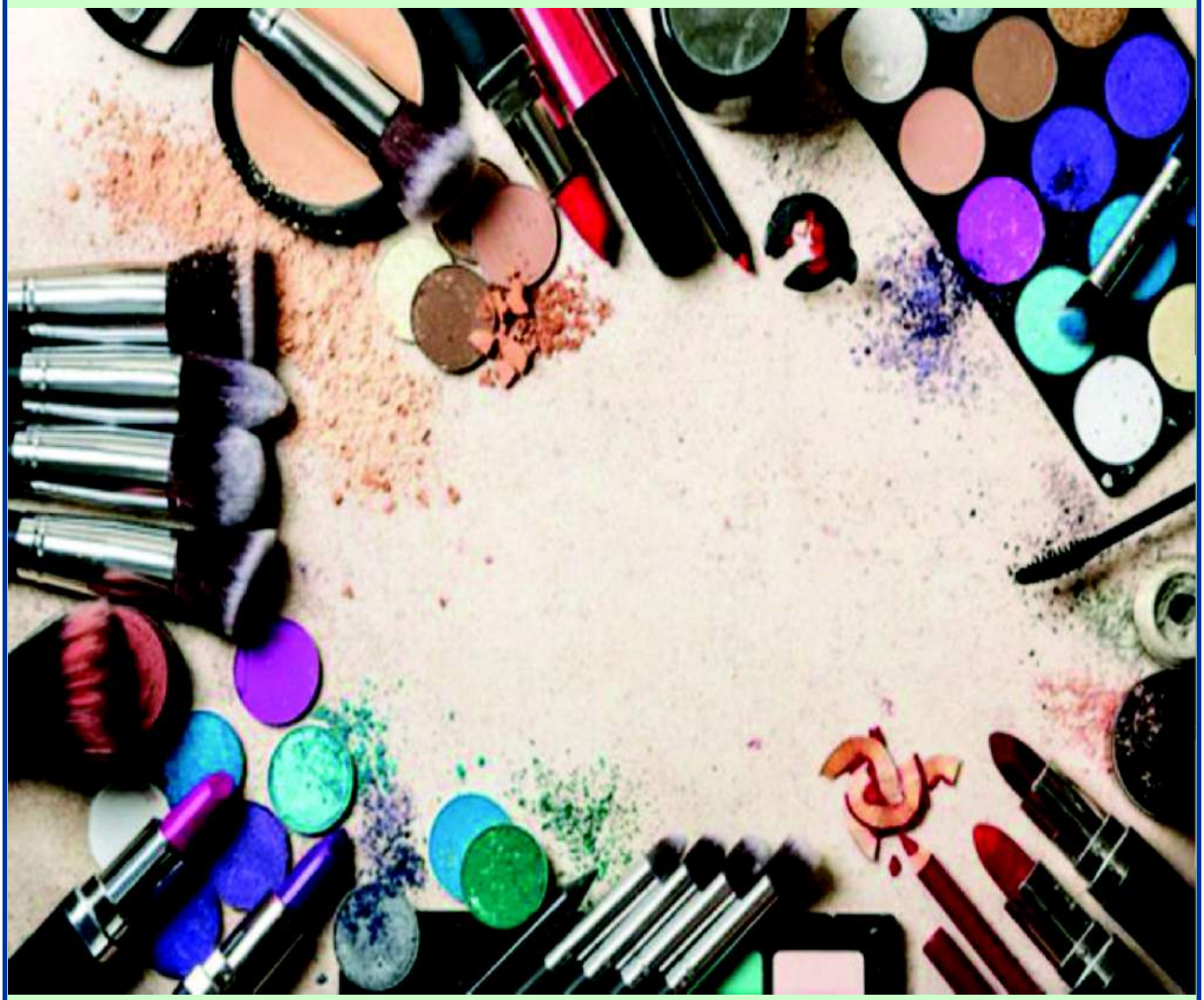

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016

सावधानी से गाड़ी चलाएँ
या आप उसी जगह पँहुच जाएंगे
जहाँ जाना नहीं चाहते हैं।
जनहित के लिए जारी